बुधवार,
१२ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, १२ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन थे)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान द्वारा पुरालेखों का प्राप्त किया जाना

*२२०. **डा० रामसुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नई दिल्ली में भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच एक मिली-जुली बातचीत हुई थी जिसमें पाकिस्तान द्वारा ऐसे पुरालेखों और अभिलेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त की जाने के प्रश्न पर विचार किया गया था, जो पाकिस्तान के मतलब के हों ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां,

(ख) तथा (ग) भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के प्रतिनिधियों ने विभाजन परिषद् के इस विनिश्चय को कार्यान्वित करने की प्रारम्भिक कार्यवाही पर चर्चा की कि पाकिस्तान सरकार के नामोदिष्ट व्यक्तियों को ऐसी देशनाओं और अभिलेखों की जांच करने के लिए पूरी २ सुविधायें दी जायें जो पाकिस्तान सरकार के मतलब के हों । बातचीत में यह तय किया गया कि यह पता लगाया जाये कि क्या पाकिस्तान सरकार को अभिलेखों की देशनाओं की फालतू प्रतियां दी जा सकती हैं। पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों को सामान्य रूप से यह आश्वासन भी दिया गया कि इस विषय में उन्हें पूरी पूरी सुविधा दी जायेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या विभाजन के समय यह तय हो गया था कि नई दिल्ली की पुरालेख निदेशालय एक एकक के रूप में कार्य करेगा और अभिलेख एक ही जगह रहेंगे, बांटे नहीं जायेंगी ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं । मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई समझौता हुआ था ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या पाकिस्तान सरकार को अभिलेखों की प्रतिलिपियां ही दी जायेंगी या कुछ मूल अभिलेख देने का भी विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : विचार यह था कि उन्हे प्रतिलिपियां दी जायें और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पाकिस्तान सरकार के काम की हो, सब सुविधाएं दी जायें ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरा कहना यह है कि क्या उन्हे कोई मूल अभिलेख भी दिये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं इसका उत्तर तो दे दिया गया है । मंत्री महोदय ने कहा कि विचार यह था कि पाकिस्तान सरकार को जानकारी प्राप्त करने तथा अभिलेखों की प्रतिलिपियां लेने के कार्य में सुविधाएं प्रदान की जायें ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या इन मूल अभिलेखों में हमारे वे अभिलेख भी शामिल होंगे जो लन्दन में उच्चायुक्त के कार्यालय में हैं ? क्या वे भी बांटे गये थे ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसका पता नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या पहले से ही तैयार की गई कोई सूची मौजूद है ? क्या उस सूची में कोई ऐसे आवश्यक प्रलेख भी हैं जिन की भारत को बहुत अधिक आवश्यकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं ।

सामान्य निर्वाचन (व्यय)

*२२१. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **विधि** मंत्री दिनांक ३ जून १९५२ को पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न संख्या ३९२ के उत्तर की ओर निर्देश करने और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अब शेष राज्यों ने प्रथम सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में व्यय के आंकड़े भेज दिये हैं ?

(ख) यदि भेज दिये हैं, तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग और सारे भारत संघ में कुल कितना व्यय हुआ है ?

(ग) सामान्य निर्वाचन से फीस के रूप में तथा अभ्यर्थियों की ज़मानतों के जब्त कर लिए जाने से अलग-अलग राज्य में कुल कितनी आय हुई ।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) जी हां ?

(ख) तथा (ग), सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ९ करोड़ ३५ लाख रुपये के कुल व्यय में अनावर्त्तक व्यय कितना है ?

श्री बिस्वास : मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने की तैयारी नहीं की है ; यह नहीं पूछा गया था ।

श्री एस० एन० दास : विवरण से यह मालूम होता है कि पश्चिमी बंगाल से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं या अभी ये आंकड़े उन्हे ही प्राप्त नही हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने आंकड़े क्यों नहीं भेजे हैं ?

श्री बिस्वास : पश्चिमी बंगाल सरकार से यह उत्तर प्राप्त हुआ था : "फीस तथा जमानतें जब्त किये जाने के रूप में हुई आय के पूरे आंकड़े अभी प्राप्त नही हैं ।" इसी कारण ये इसमें शामिल नहीं किये जा सके ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान, क्या सरकार ने लोक-सभा की सदस्यता के लिए खड़े होने वाले भिन्न-भिन्न उम्मीदवारों द्वारा किये गये व्ययों को जोड़कर यह हिसाब फैलाने के कोई प्रयत्न किये हैं कि उनके द्वारा कुल कितना धन-व्यय किया गया ?

श्री बिस्वास : वह तो उनके निर्वाचन व्यय के आंकड़ों से पता चल जायेगा । यह हिसाब किसी भी व्यक्ति द्वारा देखे जा

सकते हैं। यदि किसी को उनमें दिलचस्पी है तो वह सब उम्मीदवारों के आकड़ों को देखकर उन्हें जोड़ सकता है।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उम्मीदवारों द्वारा किये गये अलग-अलग खर्चों को जोड़ने का कोई प्रयत्न किया गया है जिससे कि सदन को यह पता चल जाये कि उम्मीदवारों द्वारा कुल कितना व्यय किया गया।

श्री बिस्वास : अभी तक ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ?

श्री के० क० बसु : क्या पश्चिमी बंगाल या किसी अन्य राज्य में मत-संग्रह अधिकारियों या उनके एजेन्टों के कोई बिल बिना चुकाये पड़े हैं ?

श्री बिस्वास : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मुख्य प्रश्न में यह जानकारी नहीं मांगी गई थी और इसलिए यह मेरे पास मौजूद नहीं है।

बिक्री-कर (एक रुपता)

*२२२. **श्री ए० एम० टामस** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में संविधान के अनुच्छेद २८६ के अन्तर्गत बनाये गये विधानों के बाद बिक्री-कर में एकरूपता लाने के लिए क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने के लिए जो संसद् द्वारा बनाये गये विधान द्वारा कर मुक्त हो गयी हों, राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी है, तथा यदि मांगी है, तो किस राज्य ने और उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले बिक्री-कर पर किसी कानूनी प्राधिकार का उपयोग केवल ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में कर सकती है जो संसद् द्वारा संविधान के अनुच्छेद २८६ (३) के अन्तर्गत पारित "आवश्यक वस्तु (विक्रय और क्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) अधिनियम, १९५२" के अधीन आवश्यक वस्तुएं घोषित कर दी गई हों। इस अधिनियम के अन्तर्गत, आवश्यक वस्तुओं पर बिक्री-कर के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये कानूनों का, जो इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् पारित किये गये हों, कोई प्रभाव नहीं होगा यदि वे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार न कर लिए जायें। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हुए इस बात का प्रयत्न करती है कि कुछ एक रूप सिद्धान्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित हो सके।

(ख) उपरोक्त अधिनियम का अभिप्राय कोई छूट देना नहीं है, बल्कि, जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है, यह है कि आवश्यक वस्तुओं पर बिक्री-कर लगाने वाली किन्हीं राज्य विधियों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाये।

अब तक "बम्बई-बिक्री-कर अधिनियम, १९५२" तथा "सौराष्ट्र बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, १९५२" को राष्ट्रपति की स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री ए० एम० टामस : क्या हाल ही में हुए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में बिक्री-करों के आरोपण तथा प्रबन्ध सम्बन्धी नीति में एकरूपता के प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी ?

श्री त्यागी : जी हां, सम्मेलन में इस विषय पर सूक्ष्म रूप से विचार किया गया था तथा सम्मेलन ने कुछ समस्याओं की जांच करने के लिए मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय उपसमिति भी नियुक्त की थी। कुछ बातें भी तय की गई थीं परन्तु मुझे खेद है कि इस समय मैं वे बातें नहीं प्रकट कर सकता क्योंकि उन पर अभी विचार हो रहा है तथा अभी कुछ राज्यों से उनकी राय भी आनी है। इस

समिति ने राज्यों के पदाधिकारियों की एक उपसमिति बनाई है जो इस मामले की ओर जांच कर रही है।

श्री ए० एम० टामस : क्या केन्द्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये निर्णय के प्रकाश में स्थिति का पुनर्विलोकन करने का विचार कर रही है तथा क्या वह अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर संविधान में, यदि आवश्यक हो, संशोधन करने का भी विचार कर रही है ?

श्री त्यागी : उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के कारण संविधान में संशोधन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ समाचारपत्रों में निकली इस खबर की ओर आकर्षित कर सकता हूं जिसमें यह कहा गया है कि एकरूपता न तो वांछनीय और न सम्भव ही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप किस सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : बिक्री-कर में एकरूपता के सम्बन्ध में, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यह तो आप राय जानना चाह रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : खबर यह छपी थी कि न तो यह वांछनीय है और न हो....

अध्यक्ष महोदय : हमें यहां दूसरों की राय से कोई मतलब नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि यह सच है या नहीं । यह विनिश्चय वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में किया गया है और मैं यही पूछ रहा हूं।

श्री ए० एम० टामस : क्या केन्द्रीय सरकार की नीति यह है कि न केवल उन वस्तुओं के सम्बन्ध में, जिन पर कर लगाया जाये, बल्कि किसी वस्तु पर कर लगाये जाने की अवस्थाओं के विषय में भी एकरूपता स्थापित की जाये ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, जैसा कि स्पष्ट है, केन्द्र को हाल ही में पारित अधिनियम के अनुसार, केवल आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में एकरूपता लाने का अधिकार है; जहां तक अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, वह राज्यों को केवल सलाह दे सकता है । ऐसा करके भी देखा गया है, परन्तु निकट भविष्य में एकरूपता लाना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि किसी भी प्रकार की एकरूपता लाने का अर्थ बहुत से राज्यों की वित्तीय स्थिति में उथलपुथल मचा देना होगा । इस बात का विनिश्चय तो स्वयं राज्य ही कर सकते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने बतलाया कि इन करों के लिए अभी तक केवल दो राज्यों को मंजूरी दी गई है । क्या मैं इस सम्बन्ध में यह जान सकता हूं कि वास्तव में प्रक्रिया क्या है ? क्या राज्य सरकारों को पहले कानून पारित करना पड़ता है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है या मंजूरी विधेयक को पारित करने से पूर्व ही लेनी पड़ती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह तो प्रक्रिया सम्बन्धी बात है जो सुविदित है । अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी न मिल जाये ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों को विधान पुरःस्थापित करने से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : शायद माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति की मंजूरी किस प्रक्रम पर ली जायेगी : क्या कोई ऐसी रूढ़ि है जिसके अनुसार राज्यों को, विधान बनाने से पहले, केन्द्र के साथ विचार-विमर्श करना होता है ?

तो मेरा ख्याल यह है कि धीरे-धीरे ऐसी कोई रूढि बन ही जायगी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या भारत सरकार ने तथा राज्य सरकारों ने मिलकर इस सम्बन्ध में भी कोई विनिश्चय किया है कि किसी एक वस्तु पर एक ही बार कर लगाया जाय या एक से अधिक बार ?

श्री त्यागी : जहां तक अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, इस विषय में कोई विनिश्चय नहीं किया जा सका है । हां, जहां तक उन वस्तुओं का प्रश्न है जो "आवश्यक" घोषित कर दी जाती हैं, हमें कुछ विनिश्चय करने होते हैं । केन्द्रीय सरकार इन विनिश्चयों का पालन कर रही है । इस सम्बन्ध में हमने निम्न बातें तय की हैं और जब हम किसी बिक्री कर सम्बन्धी विधान पर राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाने की सिफारिश करते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हैं :

(१). खाद्य पदार्थ तथा महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चे माल के विक्रय अथवा क्रय पर, किसी भी अवस्था पर, कर नहीं लगाया जाना चाहिये ।

(२). अन्य वस्तुओं पर कर ६ पाई प्रति रुपया से अधिक दर पर नहीं लगाया जाये । यदि किसी अमुक वस्तु पर कर इससे अधिक दर पर लगाया जाये तो वह दर उससे अधिक न हो जो कि उस अमुक वस्तु के उपभोक्ता को बेचे जाने की अवस्था पर उचित समझी जाये । यह कर किसी एक वस्तु पर केवल एक ही बार वसूल किया जायेगा ।

(३) यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारों को, जितने शीघ्र सम्भव हो सके, अपने वर्तमान क़ानूनों में फ़ेरबदल करनी चाहिये ताकि वे क़ानून इन बातों के समयानुकूल हो जायें ।

भारत सरकार इन सिद्धान्तों को उस समय भी ध्यान में रखेगी जब वह राष्ट्रपति से उन राज्य विधानों पर स्वीकृति देने की सिपारिश करेगी जो भविष्य में अनुच्छेद २८६ के खंड (३) के अन्तर्गत बनाये जायें। इस विषय में हमारी नीति इन सिद्धान्तों से संचालित होती है ।

प्रशासन-लेखापरीक्षा प्रणाली

*२२३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : (क) क्या वित मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रशासन लेखापरीक्षा प्रणाली को, जिसकी कि १९५०-५२ में लोक लेखा समिति द्वारा सिपारिश की गयी थी, स्वीकार कर लिया है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो यह प्रणाली कब चालू कर दी जायेगी ?

राजस्व तथा व्यय मन्त्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). लोक लेखा समिति की सिपारिश के अनुसार प्रशासन-लेखा-परीक्षा प्रणाली को, जैसी कि वह सैनिक इंजीनियरी सेवाओं में प्रचलित है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में चालू करने का विचार किया जा रहा है । इसके व्यय के बारे में अभी मेरा मंत्रालय जांच कर रहा है । अभी इसके चालू किये जाने की तिथि निश्चित करना कठिन है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्, कि इस प्रणाली के सब मंत्रालयों पर लागू किये जाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री त्यागी : जैसा कि मैं ने बतलाया, अभी इस बात पर विचार किया जाना है कि इस योजना को अन्य विभागों पर लागू करने में कितना व्यय होगा । हमें यह भी ध्यान रखना है कि कहीं दुहरा-दुहरा काम न हो जाये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या माननीय मंत्री की जानकारी में यह बात आई है कि एक मंत्रालय को दिये गये कुछ अनुदानों का उपयोग अन्य मंत्रालयों द्वारा किया गया है ?

श्री त्यागी : ऐसा कभी नहीं हुआ है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या माननीय मंत्री की जानकारी में यह बात भी आई है या नहीं कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ?

श्री त्यागी : मेरी जानकारी में यह बात नहीं आई है । यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई बात बतलायेंगे तो मैं जो कार्यवाही उपयुक्त समझुंगा, करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या लोक लेखा समिति ने ऐसा कहा है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक मंत्रालय द्वारा दिये गये अनदानों का उपयोग दूसरे मंत्रालयों ने संसद् की स्वीकृति लिये बिना किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो भिन्न प्रश्न है । वित्तीय नियमों में अवश्य ही ऐसी व्यवस्था होगी । अन्यथा उन नियमों का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है ?

श्री टी० एन० सिंह : क्या प्रशासन लेखापरीक्षा की प्रणाली सिंचाई और केन्द्रीय लोक निर्माण विभागों पर भी लागू होती है ?

श्री त्यागी : जैसा कि मैं ने कहा, अभी यह तय नहीं किया गया है कि उन विभागों में यह योजना कहां तक लागू होनी चाहिये ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि समुचित प्रशासन-लेखापरीक्षा व्यवस्था के मार्ग में आर्थिक कठिनाइयां नहीं आनी चाहिये ।

श्री त्यागी : जी हां ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस पर भी सरकार इस प्रणाली को वित्तीय आधार पर लागू नहीं करना चाहती ?

श्री त्यागी : लोक लेखा समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् सरकार ने अधिकारियों की एक अन्तर्विभागीय समिति नियुक्त की जिससे यह सुझाव देने के लिये कहा गया कि उक्त प्रणाली किस ढंग से लागू की जाये । इस समिति ने सिफारिश की है कि शुरू में यह प्रणाली केवल लोक निर्माण विभाग में ही लागू की जानी चाहिये । अतः लोक निर्माण विभाग के साथ विचार-विमर्श किया गया है और अब हम उसकी राय की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इसे अगले आर्थिक वर्ष में लागू करने का विचार किया जा रहा है, परन्तु इस पर होने वाले व्यय के प्रश्न की अब भी जांच की जा रही है ।

निकाले गये सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

*२२४. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निकाले गये तथा आवश्यकता से अधिक सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों से, पुनः नियुक्त किये जाने के लिये, ३१ मार्च १९५२ तक कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये हैं ?

(ख) इन में से कितने प्रार्थनापत्रों की पड़ताल की गई तथा कितने अस्वीकार कर दिये गये ?

(ग) कितने व्यक्तियों को रख लिया गया तथा कितनों के नाम प्रतीक्षा-सूची पर हैं ?

(घ) उनके इस प्रकार रखे जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभिगृहीत नीति क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री डा० केसकर: (क) २९९६ ।

(ख) इस वर्ष के शुरू में सभी २९९६ प्रार्थनापत्रों की उन जगहों के सम्बन्ध में पड़ताल की गई जो उस समय खाली थीं तथा जिनके लिये आवेदनों के मामलों पर विचार किया जा रहा था । १३७२ आवेदनों की तो योग्यता ही निर्धारित योग्यता के मुताबिक़ नहीं थी । बाक़ी के आवेदकों में से ५६ तो चुन लिये गये और शेष (अर्थात् १५६८) नामंज़ूर कर दिये गये । हां, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गत बार जो व्यक्ति नामंज़ूर किये गये उनके नाम रजिस्टर में दर्ज रहे आयेंगे और यदि तथा जब जगह खाली होंगी तो उनके मामलों पर, उन श्रेणियों के लिये जिनके लिये वे आई हों, विचार किया-जायेगा ।

(ग) पच्चीस पदाधिकारियों को तो नौकरी पर लगाया जा चुका है और पांच अन्य पदाधिकारियों से, जिन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है, उनकी स्वीकृति आनी है । सात पदाधिकारियों के नाम प्रतीक्षा-सूची पर हैं; उन्हें और स्थान खाली होने पर नियुक्त किया जायेगा ।

(घ) नीति यह है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाये जो फालतू होने के कारण नौकरी से अलग किये गये हों और उनमें से अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक नौकरियां ढूंढी जायें ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है, श्रीमान्, कि जब कि एक विभाग में अस्तव्यस्त रूप से छटनी हो रही है, दूसरे में भर्ती जारी है ? यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस अनियमता को दूर करने के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं ?

डा० केसकर : श्रीमान्, मुझे किसी अव्यवस्थित भर्ती का ज्ञान नहीं है । यदि माननीय सदस्य ऐसी भर्ती के कोई विशिष्ट उदाहरण दें तो मैं उनका बहुत कृतज्ञ होउंगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के खुदरा विभाग (रिटेल सैक्शन) में, जो हाल ही में सेल द्वारा ले लिया गया है, सैनिक विभाग ने इन पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को नौकरी पाने का अवसर दिया था ?

डा० केसकर : जैसा कि मैं ने कहा, सामान्य नीति यह रही है कि जब कभी कहीं भी स्थान खाली हों, उदाहरण के लिये, उस विभाग में जिसकी ओर मेरे माननीय मित्र ने निर्देश किया है, प्राथमिकता उन व्यक्तियों को दी जायेगी जो छटनी में निकाल दिये गये हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन निकाले गये व्यक्तियों को पुनः नियुक्त करते समय केवल उनके पुराने रेकार्ड पर ही विचार किया जाता है या कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जाता है ?

डा० केसकर : उनके पुराने रेकार्ड पर भी विचार किया जाता है और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अमुक व्यक्ति इन्टरव्यू में कैसा रहा, क्योंकि इन्टरव्यू सैलेक्शन बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें एक पदाधिकारी संघ लोक सेवा आयोग का रहता है तथा कुछ अन्य पदाधिकारी रहते हैं।

श्रीमती मायदेव : क्या यह सच है कि अलग किये गये पदाधिकारियों को पुनर्संस्थापन तथा नियोजन विभाग द्वारा स्थान रिक्त होने की सूचनायें तो कई बार दी गई;

परन्तु फिर भी उन्हें सेवायुक्त नहीं किया गया ?

डा० केसकर : मैं समझता हूं कि शायद यह किसी अन्य विभाग की बात है, रक्षा मंत्रालय की नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वह रक्षा विभाग की ओर ही निर्देश कर रही हैं ।

श्रीमती मायदेव : जी हां; मैं रक्षा विभाग की ओर ही निर्देश कर रही हूं । पुनर्संस्थापन विभाग ने उन्हें स्थान खाली होने की सूचना तो दी, परन्तु लोक सेवा आयोग ने उन्हें इन्टरव्यू के लिये कभी नहीं बुलाया । अतएव इसके आगे कोई भी नतीजा नहीं निकला ।

डा० केसकर : जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसा नहीं हुआ । हां, यदि ऐसी बातें मुझे बतलाई जायेंगी तो मैं उनकी जांच अवश्य करूंगा ।

श्री वी० पी० नायर: क्या छटनी के अन्तर्गत निकाले गये कर्मचारियों सम्बन्धी नीति भारतीय सेना तथा राज्य सेनाओं के कर्मचारियों के विषय में, जो इन दोनों के एकीकरण के पश्चात् निकाले गये, एक सी है ?

डा० केसकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये, श्रीमान् ।

डा० जयसूर्य : मैं भी यही प्रश्न पूछना चाहता था: क्या पूर्व-राज्य सेनाओं के कर्मचारियों के प्रार्थनापत्रों के विषय में भी उन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाता है ?

डा० केसकर : यह तो उसी प्रश्न की पुनरावृत्ति है ।

श्री एन० श्री कान्तन नायर : क्या सरकार जानती है कि दक्षिण भारतीयों की यह शक़ायत है कि सेना सैलेक्शन बोर्ड की यही कोशिश रहती है कि दक्षिण भारतीयों को, जैसे भी हो--उचित रूप से या अनुचित रूप से न लिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

श्री के० के० बसु : क्या छटनी करने से पूर्व निकाले जाने वाले लोगों को किसी अन्य विभाग में खपाने के सम्बन्ध में समुचित जांच पड़ताल की जाती है या नहीं ?

डा० केसकर : वे अन्य विभागों में भी नियुक्त किये जा सकते हैं । वस्तुतः अन्य विभागों से निकाले गये कर्मचारी भी रक्षा मंत्रालय में लगाये जाने के पात्र हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इन व्यक्तियों के चुनाव में कोई सहायता दी है ?

डा० केसकर : कर्मचारियों का चुनाव करते समय और चुनाव के लिये प्रक्रिया निर्धारित करते समय हमेशा संघ लोक सेवा आयोग की सहायता तथा मंत्रणा ली गई है ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

महंगाई भत्ता सम्बन्धी समिति (रिपोर्ट)

*२२५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या महंगाई भत्ता सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ?

(ख) यदि कर लिया गया है, तो इस सम्बन्ध में क्या विनिश्चय किये गये हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): (क) तथा (ख). महंगाई भत्ता सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है और उस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई विनिश्चय किये जाने की सम्भावना है ।

इस प्रसंग में, रिपोर्ट की मोटी-मोटी बातों का सार सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या २**]

श्री एस० एन० दास : विवरण से यह पता चलता है कि समिति ने जीवन-व्यय सम्बन्धी आधारभूत आंकड़ों के विषय में कुछ अर्थशास्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया था। क्या मैं इन अर्थशास्त्रियों के नाम जान सकता हूं ?

श्री त्यागी: मुझे खेद है कि मेरे पास उन अर्थशास्त्रियों के नाम नहीं है जिनके साथ समिति ने विचार-विमर्श किया था।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के लिये इस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लेने के पश्चात् वेतन-श्रेणियों का पुनरीक्षण करना भी आवश्यक हो जायेगा।

श्री त्यागी : जी नहीं। वेतन-श्रेणियों के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। बात केवल इतनी है कि आधा महंगाई भत्ता वेतन में मिला दिया जायेगा।

श्रीमती मायदेव : क्या निवृत्ति वेतन पाने वालों को मंहगाई भत्ता सम्बन्धी समिति की सिफारिश के अनुसार वृद्धि प्राप्त होगी ?

श्री त्यागी : निवृत्ति वेतनों पर तदनुसार प्रभाव पड़ेगा।

श्रीमती मायदेव : नहीं, नहीं। क्या उन्हें कुछ अधिक मिलेगा ?

श्री त्यागी : उनको यह फैसला करने का विकल्प दिया जायेगा कि क्या वे इस बढ़े हुये वेतन के आधार पर निवृत्ति वेतन लेना चाहेंगे, जिसमें आधा मंहगाई भत्ता मिला दिया जा सकता है, या पुराने वेतन के आधार पर।

श्री एस० वी० रामस्वामी क्या समिति ने रिपोर्ट एकमत हो कर दी थी ?

श्री त्यागी : मेरे संयुक्त सचिव ने, जो कि उस समिति की कार्यवाही में भाग ले रहे थे, मुझे बतलाया कि आखरी वक्त तक समिति के विनिश्चय एकमत से किये जा रहे थे। परन्तु, जब रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गये तो मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक असरकारी सदस्य, श्री गुरुस्वामी, ने उस में विमति-टिप्पण लगा दिया। मैं यह नहीं कह सकता कि उनकी असहमति का क्या कारण था; हां, इसके पहले की कार्यवाही एकमत से हुई थी।

श्री विद्यालंकार : क्या सरकार सदन को इस रिपोर्ट पर चर्चा करने का अवसर देगी ?

श्री त्यागी : मैं नहीं समझता कि सामान्य रूप से ऐसी रिपोर्टों पर सदन में चर्चा होती है। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय भी सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा को जाने को इतना महत्व नहीं देंगे।

कई माननीय सदस्य उठे —

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध मुझ से किया गया है। अब मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं।

कारों के क्रय के लिए ऋण

*२२६. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार अपने वर्ग १ तथा वर्ग २ के पदाधिकारियों को कार खरीदने के लिये ऋण देती है तथा यदि देती है, तो किसी एक पदाधिकारी को अधिक से अधिक कितनी राशि ऋण के रूप में दी जा सकती है ?

(ख) क्या सरकार वर्ग ३ तथा वर्ग ४ के कर्मचारियों को साइकिल खरीदने के लिये ऋण देती है तथा यदि देती है, तो किसी

एक कर्मचारी को अधिक से अधिक कितना ऋण दिया जा सकता है ?

(ग) इन ऋणों के पुनर्भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां। अधिक से अधिक १०,००० रुपये या सरकारी कर्मचारी का पांच मास का वेतन या मोटर कार की अनुमानित कीमत, इन में से जो भी राशि सब से कम हो, दी जाती है।

(ख) जी हां। यह ऋण ऐसे सब कर्मचारियों को दिये जाने के लिये है जिनका वेतन ३०० रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है। अधिक से अधिक १७५ रुपये या सरकारी कर्मचारी का चार मास का वेतन या साइकिल की अनुमानित कीमत, इन में से जो भी राशि सब से कम हो, दी जा सकती है।

(ग) इन ऋणों का पुनर्भुगतान साधारण ब्याज सहित किया जाना होता है। मोटर कार के लिये ऋण अधिक से अधिक अड़तालीस मासिक किस्तों में तथा साइकिल के लिये ऋण अधिक से अधिक चौबीस या बारह मासिक किस्तों में, सम्बन्धित कर्मचारी के स्थायी या अस्थायी होने के अनुसार, चुकाया जाना होता है। अस्थायी सरकारी कर्मचारियों से पर्याप्त जमानत मांगी जाती है। ऋण से खरीदी गई मोटर कार का बीमा कराया जाना होता है और वह सरकार के पास बन्धक रखी जानी होती है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि आजकल १७५ रुपये से साइकिल, मय ज़रूरी सामान के, नहीं खरीदी जा सकती ?

श्री बी० आर० भगत : मेरे ख्याल में तो खरीदी जा सकती है।

श्री वी० पी० नायर : क्या मंत्री महोदय को कुछ 'स्टैन्डर्ड मेक' की साइकिलों की कीमतें पता हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कहने का अभिप्राय यह मालूम होता है कि साइकिल खरीदने के लिये एक निश्चित राशि दी जाती है। अब यदि इसमें कुछ और रुपये मिलाने की ज़रूरत पड़े तो वह सम्बन्धित कर्मचारी अपने पास से मिलाये।

श्री वी० पी० नायर : तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आजकल जितनी राशि दी जाती है वह एक स्टैन्डर्ड साइकिल खरीदने के लिये काफ़ी नहीं होती और सम्बन्धित कर्मचारी के पास उस राशि में अपने पास से मिलाने के लिये रुपया नहीं होता, क्या सरकार इस राशि में कुछ वृद्धि करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति नहीं दे सकता। यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है।

श्री दामोदर मैनन : जब सरकारी कर्मचारियों को कार खरीदने के लिये ऋण दिया जाता है तो क्या कोई ऐसी शर्त भी रखी जाती है कि वे केवल भारत में बनी कार ही खरीदें।

श्री बी० आर० भगत : ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जाती।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : ऐसी कोई शर्त तो नहीं होती, परन्तु जो कारें भारत में नहीं बनी हैं उनका सामान्यतया भारत में आयात नहीं करने दिया जाता है और उन पर बहुत अधिक शुल्क लगता है। अतएव उन्हें भारत में बनी कारें ही खरीदनी पड़ जाती हैं।

श्री आल्तेकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ऋण पर ब्याज किस दर पर लिया जाता है ?

श्री त्यागी : दर ३ और ३½ प्रतिशत के बीच है ।

श्री नानादास : श्री बुच्चिकौटेय्या ने मुझे प्रश्न संख्या २२७ पूछने का अधिकार दे दिया है । क्या मैं पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अधिकार लिखित रूप में दिया गया है ?

श्री नानादास : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सचिव को दे दें । यह प्रश्न आखिर में लिया जायेगा ।

कोलम्बो योजना

*२२८. **डा० रामा राव** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ भारतीय विद्यार्थी कोलम्बो योजना के अन्तर्गत इंगलैंड भेजे जा रहे हैं ?

(ख) यदि भेजे जा रहे हैं, तो उस समझौते की मुख्य मुख्य शर्तें क्या हैं, जिसके अनुसार इन विद्यार्थियों को भेजा जा रहा है ?

(ग) क्या कोई विद्यार्थी इस योजना के अन्तर्गत चुने जा चुके हैं, तथा यदि चुने जा चुके हैं, तो उनकी योग्यताएं क्या हैं ?

(घ) इन विद्यार्थियों के कहां अध्ययन प्राप्त किये जाने की सम्भावना है और वे किन किन विषयों में विशेष अध्ययन प्राप्त करेंगे ?

(ङ) इस योजना की कार्यान्विति में भारत सरकार और संयुक्त राजतंत्र की सरकार क्रमश: कितना-कितना खर्च करेंगी ?

(च) इन विद्यार्थियों को, उनके लौटने के पश्चात् किस किस्म का काम दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) विद्यार्थियों को कोलम्बो योजना के टैकनिकल सहयोग कार्यक्रम के अधीन संयुक्त राजतंत्र भेजा जा रहा है । इस कार्यक्रम की प्रतियां २८ नवम्बर, १९५० को सदन पटल पर रखी गई थीं । इस योजना के अन्तर्गत टैक्निकल सहायता दोनों सरकारों को पारस्परिकता के आधार पर दी जा रही है ।

(ग) जी हां; चुने गये अभ्यर्थी वे थे जो पहले से ही सेवायुक्त थे तथा अपने अपने कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यक टैक्निकल योग्यता रखते थे ।

(घ) विद्यार्थियों को उन विषयों में शिक्षा दी जायेगी जिन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उन्हें संयुक्त राजतन्त्र भेजे जाने के लिये चुना गया । ये विषय मुख्यत: कृषि, संचार, लोक स्वास्थ्य तथा डाक्टरी, सिंचाई तथा बिजली, कोयला-खानों, उद्योगों तथा श्रम सम्बन्धी विशिष्ट शाखाओं के सम्बन्ध में है ।

(ङ) टैक्निकल सहयोग कार्यक्रम के अनुसार, प्रशिक्षण देने वाले देश में प्रशिक्षण पर होने वाला सब व्यय तथा आने-जाने का दोनों तरफ़ का खर्च वही देश देगा जहां कि प्रशिक्षण दियाजा येगा । भारत सरकार या विद्यार्थियों को भेजने वाला देश विद्यार्थियों के भेजे जाने पर होने वाला अन्तर्देशीय व्यय उठायेगा तथा उनके वेतन देगा ।

(च) प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गये व्यक्ति अपने अपने कामों पर वापस आ जायेंगे ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि अभ्यर्थियों को चुनने के लिये क्या प्रणाली तथा व्यवस्था है ?

श्री बी० आर० भगत : वे सम्बन्धित विभाग द्वारा चुने जाते हैं । राज्य सरकारें तथा अन्य भिन्न भिन्न संस्थायें उनके नाम यहां भेजती हैं तथा फिर यहां भारत सरकार का एक बोर्ड उनका अन्तिम चुनाव करता है ।

डा० रामा राव : तो क्या मैं यह समझूं कि भारत सरकार का एक सैलेक्शन बोर्ड है ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे बोर्ड का नाम नहीं पता । मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): हरेक मंत्रालय में एक सैलेक्शन बोर्ड होता है जिसमें उसके पदाधिकारी रहते हैं । जब कभी कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है, उस पर सम्बन्धित मंत्रालय का अपना बोर्ड विचार करता है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या सैलेक्शन बोर्ड में विशेषज्ञ भी रहते हैं या केवल सरकारी कर्मचारी ही ?

श्री बी० आर० भगत : मेरे पास यहां बोर्ड के सदस्यों की सूची मौजूद नहीं है—अत: मैं यह नहीं बतला सकता ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो सामान्य स्थिति जानना चाहते हैं ।

श्री बी० आर० भगत : सामान्य रूप से तो उसमें सरकारी कर्मचारी ही रहते हैं ।

श्री दामोदर मेनन: क्या सैलेक्शन बोर्ड अभ्यर्थियों का चुनाव करने से पूर्व कोई परीक्षा लेता है ?

श्री बी० आर० भगत : कोई परीक्षा नहीं होती ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मुझे गत सत्र में मिली एक पुस्तिका से पता चला है कि, कोलम्बो योजना के अन्तर्गत, टैक्निकल सहयोग कार्यक्रम में भाग लेने वाली सरकारों के प्रतिनिधियों से बनी एक परिषद् द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । क्या मैं यह समझूं कि इस परिषद् का इन अभ्यर्थियों के चुनाव में भी कुछ हाथ होता है ?

श्री बी० आर० भगत : जी नहीं ।

डा० रामा राव : क्या सरकार कुछ व्यक्तियों को औद्योगिक अभियन्त्रणा तथा प्रौद्योगिकी (इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलौजी) में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी भेजने का विचार कर रही है ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां, यह भी एक विषय है ।

जेलों में विदेशी

*२२९. **श्री जजवाड़े** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने विदेशी जेल में या नज़रबन्द हैं ; तथा

(ख) क्या भारत सरकार का इरादा उन्हें छोड़ देने का है, तथा यदि है, तो कब तक और किस आधार पर ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) कोई भी विदेशी भारत सरकार के आदेश से नज़रबन्द नहीं किया गया है, अत: उनकी रिहाई का तो प्रश्न ही नहीं उठता । हां, जहां तक दोषसिद्ध बन्दियों का प्रश्न है, भारत सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि उन्हें विशेष 'दया' के अधीन छोड़ दिया जाये ।

श्री जजवाड़े : जानकारी इकट्ठी की जाने में कितना समय लगेगा ?

श्री दातार : कोई दो महीने ।

सैनिक भंडार

*२३०. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने सनिक भंडारों में देश में निर्मित सामान भरने के प्रयत्न किये हैं ;

(ख) सन् १९४५, १९४७, १९५१ तथा १९५२ में भारत की सैनिक उपकरण तथा अन्य सामान सम्बन्धी कुल आवश्यकता का कितने प्रतिशत भाग देश में उत्पन्न होता था ; तथा

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके द्वारा देश में निर्मित युद्ध सामग्री का उत्पादन अधिक तेजी के साथ किया जा सके ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ग). जी हां । रक्षा मंत्रालय द्वारा जनवरी १९४९ में "आयातित सामान जांच समिति" नामक एक समिति नियुक्त की गई थी जिसमें सम्बन्धित असैनिक मंत्रालयों के तथा तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि थे । यह समिति इस लिये बनाई गई थी ताकि वह सैनिक सामान के आयात किये जाने वाले तथा देश में उत्पादित किये जाने वाले मदों की बराबर जांच पड़ताल करती रहे तथा, जहां सम्भव हो, देश में उत्पादन प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करे । इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि जो चीजें यहां तैयार नहीं की जाती हैं उनका उत्पादन, या तो सरकारी कारखानों में या असरकारी सूत्रों के द्वारा, करवाया जाये ।

दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में तीन 'सैम्पिल रूम' खोले गये हैं जहां आयात की गई ऐसी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके बारे में यह समझा जाता है कि वे भारत में बनाई जा सकती हैं । ऐसा इसलिये किया गया है ताकि देशीय उद्योगों का ध्यान इन वस्तुओं के निर्माण किये जाने की ओर आकर्षित किया जा सके । इन स्थानों पर टैकनिकल योग्यता वाले व्यक्ति मौजूद रहते हैं जो उक्त वस्तुओं के उत्पादन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को उसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करते हैं ।

(ख) जहां तक मार्च, १९४५ तथा मार्च, १९४७ में समाप्त होने वाले वर्षों का सम्बन्ध है, हमारे पास विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं क्योंकि "रक्षा व्यय योजना" के अन्तर्गत, जो इन दो वर्षों में लागू थी, विदेशों से मंगाये गये सामान पर होने वाले अधिकांश व्यय के हिसाब के भारतीय रक्षा विभाग की पुस्तकों में रखे जाने की ज़रूरत नहीं थी । हां, वर्ष १९५१ तथा वर्ष १९५२ में, इन वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत की आत्मनिर्भरता क्रमशः लगभग ४३ प्रतिशत तथा ४५ प्रतिशत थी ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जहां से युद्ध-सामग्री का मुख्य रूप से आयात किया जाता है ?

डा० केसकर : मैं इस की पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सैनिक भंडारों को चटाइयों तथा टाटों (मैट और मैटिंग) की भी जरूरत होती है, तथा यदि होती है, तो नारियल की जटा की चटाइयों तथा टाटों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो विस्तार में पड़ना होगा । यदि माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में विस्तृत बातें पता हों, तो वह बतला सकते हैं ।

डा० केसकर : विस्तृत जानकारी तो मेरे पास नहीं है, परन्तु चटाइयां तथा टाट हम अधिकतर यहीं खरीदते रहे हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि सैनिक भंडारों में बहुत सी ऐसी वस्तुएं विशेष रूप से डिब्बों में बन्द पदार्थ, बाहर

से मंगाई जा रही हैं जिन के समान किस्म की चीज़ें भारत में ही प्राप्य हैं ?

डा० केसकर : मेरे पास आयात सम्बन्धी विस्तृत जानकारी मौजूद नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार सैनिक प्रयोजनों के लिये नारियल की चटाइयां तथा टाट खरीदने की व्यवस्था करेगी क्योंकि इन चीजों के उद्योग को एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है । माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अधिकतर खरीद भारत में ही की जाती है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसी कि कोई दो वर्ष पहले सरकार की एक समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई थी, रेडियो उपकरण तथा यंत्रों के देश में निर्माण किये जाने की योजना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं हम विस्तार में पड़ते जा रहे हैं जिसका कि प्रस्तुत प्रश्न से, जो बिल्कुल सामान्य किस्म का है, कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पूना के रक्षा प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की हड़ताल

***२३१. श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या रक्षा मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना तथा उसके आसपास के विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों ने अगस्त १९५२ के अन्त में हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल कितने दिनों तक रही थी ; तथा

(ग) हड़ताल के क्या कारण थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) २९ अगस्त, १९५२ से केवल सैन्ट्रल आर्मर्ड फाइटिंग वेहिकल डिपो, किरकी के रक्षा कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, अन्य प्रतिष्ठानों में हड़ताल सितम्बर १९५२ की भिन्न भिन्न तारीखों से की गई थी ।

(ख) हड़ताल की कालावधि भिन्न भिन्न स्थानों पर ६ दिन से ले कर २५ दिन तक की रही ।

(ग) हड़ताल का तात्कालिक कारण तो यह था कि सैन्ट्रल आर्मर्ड फाइटिंग वेहकिल डिपो, किरकी के २१३ फ़ालतू मज़दूरों को निकालने के नोटिस दे दिये गये थे ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : हड़ताल खत्म करने की कोई शर्तें थीं तो क्या थीं ?

डा० केसकर : हड़तालियों ने कितनी ही मांगें रखी थीं । मैं समझौते की सब शर्तें तो विस्तार से नहीं बतला सकूंगा, हां, मुख्य चीज़ उन लोगों को फिर से रखने के बारे में थी जिन्हें निकाले जाने के नोटिस दे दिये गये थे । उन सब को वैकल्पिक नौकरियां बतलाई गईं और उनमें से बहुतों को तो उसी समय नौकरियां दे दी गईं ।

दूसरी मांग यह थी कि छटनी का विनिश्चय करने से पूर्व मज़दूरों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जाये । इस सम्बन्ध में ये आदेश दे दिये गये हैं कि रक्षा विभाग के सभी कारखानों में छटनी के सुझाव पहले उनके सामने रखे जायें और उच्चतर प्राधिकारियों को केवल तभी भेजे जायें जब कि समिति में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की राय जान ली जाये । पूना के स्तर को बढ़ा कर 'ए' क्षेत्र घोषित किये जाने की भी एक मांग थी । उस मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

यह आदेश भी जारी किया जा चुका है कि १ अक्तूबर, १९४९ से प्रति एक वर्ष के सेवा काल के पूरे होने पर आधे मास का वेतन दिया जाये--कम से कम राशि एक मास के वेतन के बराबर होगी—, परन्तु शर्त यह है कि सरकार सम्बन्धित कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना में कुछ अंशदान नहीं करेगी और यह भी कि उन्हें उसी सेवा काल के निमित्त सरकार द्वारा स्वीकृत किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कोई उपदान प्राप्त करने का हक्क नहीं होगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या विभाग द्वारा किसी हड़ताल करने वाले को किसी अन्य प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया ?

डा० केसकर : मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या उन सब कर्मचारियों को नौकरियां दिलाई जा चुकी हैं जिन्हें नोटिस दिये गये थे ?

डा० केसकर : मैं ने कहा उन में से बहुतों को फ़ौरन ही वैकल्पिक नौकरियां बतलाई गईं ।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने बतलाया कि कर्मचारियों द्वारा बहुत सी मांगें रखी गई थीं । क्या मैं जान सकता हूं कि ये मांगें प्रारम्भ में कब रखी गई थीं और गड़बड़ होने से पूर्व—हड़ताल शुरू होने से पहले—सरकार ने मामला तय करने के लिये क्या कदम उठाये थे ?

डा० केसकर : मैं यह तो नहीं बतला सकूंगा कि मांगें किस तारीख को रखी गईं या उन पर कितने दिनों तक विचार होता रहा । मैं ने अभी सब मांगें पढ़ कर सुना दी हैं । कुल पांच मांगें थीं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के कहने का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि क्या सरकार ने मांगों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने में देरी कर दी थी जिसके फलस्वरूप हड़ताल हो गई । इसलिये वह समय जानना चाहते हैं । यदि माननीय मंत्री के पास यह जानकारी है तो वह दे सकते हैं ।

डा० केसकर : मैं इस की पूर्वसूचना चाहता हूं, श्रीमान् ।

श्री नम्बियार : जिन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, क्या सरकार उन की जांच करेगी ताकि कोई और संकट या हड़ताल न हो जाये ?

डा० केसकर: सभी उचित मांगों की छानबीन की जायेगी ।

पुर्तगाली बैंक

*२३२. **श्री वैलायुधन**: क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में पुर्तगाली बैंकों के बन्द किये जाने का आदेश दे दिया है ; तथा

(ख) यदि दे दिया है, तो इसका कितने बैंकों पर प्रभाव पड़ा है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने, बैंकिग कम्पनीज़ ऐक्ट, १९४९ की धारा २२ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, बम्बई के बैन्को नेशनल अल्ट्रामैरिनो को एक नोटिस दे कर ८ सितम्बर, १९५२ से बैंक सम्बन्धी कारबार करने की अनुज्ञप्ति वापस ले ली । भारत में कारबार करने वाला यही एक मात्र पुर्तगाली बैंक था ।

श्री वैलायुधन: क्या भारत सरकार ने इस बैंक को बन्द करने से पहले, उस सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार के साथ बातचीत की थी ?

श्री एम० सी० शाह: जी हां, इस सवाल पर चर्चा सन् १९४७ से चल रही थी । कुछ

मुद्रा-विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयां थीं और मुद्रा-विनिमय का एकाधिकार इस बैंक में निहित था । अतएव गोआ स्थित भारतीय महावाणिज्य दूत ने पुर्तगाली सरकार के साथ यह सवाल उठाया । शुरू में तो उन्होंने वहां इम्पीरियल बैंक की एक शाखा खुलवानी चाही, किन्तु बाद में यह बात उठा रखी गई । हां, एक और बैंक ने वहां अपनी शाखा स्थापित करने की अनुमति मांगी थी जो उसे नहीं दी गई । बातचीत पहले तो लिस्बन स्थित ब्रिटिश राजदूतावास के तथा उसके बाद हमारे लिस्बन स्थित 'लेगेशन' के द्वारा की गई थी ।

श्री वैलायुधन : भारत सरकार ने हमारे उन लोगों के हितों की रक्षा के लिये क्या किया है जिन्होंने इस बैंक में रुपया जमा कर रखा है ?

श्री एम० सी० शाह : हमारी जानकारी के अनुसार तथा की गई जांच के अनुसार भारतीय राष्ट्रजनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या पुर्तगाल सरकार ने भी किसी ऐसे भारतीय बैंक के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है जो गोआ में कारबार कर रहा हो या करने का विचार रखता हो, तथा यदि की है, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : गोआ में कोई भारतीय बैंक नहीं है । उन्होंने वहां बैंक खोलने की अनुमति नहीं दी थी और यही कारण था कि हमें यह कार्यवाही करनी पड़ी । रिज़र्व बैंक को कार्यवाही करने के लिये इसलिये मजबूर होना पड़ा क्योंकि पुर्तगाल सरकार ने विभेदात्मक रुख अपनाया था ।

श्री वीरस्वामी : क्या सरकार की नीति भारत में किसी विदेशी बैंक को कारबार न करने देने की है ?

श्री एम० सी० शाह : नहीं, नहीं । अधिनियम की धारा २२(३) (ङ) के अन्तर्गत, यदि किसी सरकार द्वारा कोई विभेदात्मक कार्यवाही की जाये, तो उस दशा में, रिज़र्व बैंक अनुज्ञप्ति अस्वीकृत कर सकता है ।

रेडियों द्वारा शिक्षा

*२३५. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण जनता को रेडियो द्वारा शिक्षा दी जाने पर व्यय, नियमित स्कूलों द्वारा शिक्षा दी जाने पर होने वाले व्यय की अपेक्षा कम होता है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ रेडियो की व्यवस्था करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं। रेडियो तो स्कूलों का स्थान ले ही नहीं सकते ।

(ख) यह राज्य सरकारों का काम है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या ग्रामीण जनता को शिक्षा देने के आसान तथा कम खर्चे वाले साधन ढूंढ निकालने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ऐसी समस्याओं पर पूरा ध्यान दे रही है ।

अध्यक्ष महोदय : वस्तुतः यह राज्य सरकारों का काम है ।

बंगाल की कछारी मट्टी की चट्टानों का परिमाप

*२३६. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बंग

की कछारी मट्टी की चट्टानों में स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी द्वारा किये गये परिमाप के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी द्वारा किये गये एयरो-मैगनेटिक परिमाप के दौरान में संगृहीत सामग्री से इसके अच्छे परिणाम निकलने की सम्भावना पता लगती है, परन्तु यह तो विस्तृत खोज का एक भाग मात्र है। वहां सफलता मिलने की बात निश्चयपूर्वक कहने से पहले और अधिक भूपरिमाप करना होगा और तैल का पता लगाने के लिये जमीन में सूराख करके देखना पड़ेगा। इस काम को करने के लिये स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी ने सुझाव दे दिये हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है।

श्री एम० आर० कृष्ण : ऐसी कौन सी विशेष बातें थीं जिनके कारण सरकार को परिमाप कार्य अकेले स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी के ऊपर ही छोड़ना पड़ा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह बहुत अधिक विशिष्ट प्रकार का कार्य है जिसको करने के लिये बहुत कम लोग तैयार होते हैं।

श्री मेघनाद साहा : क्या सरकार के वैज्ञानिक पदाधिकारियों द्वारा उनके डिज़ाइनों की विवेचनात्मक जांच कर ली गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय: स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी द्वारा एयरो-मैगनेटिक परिमाप किया गया था ; उसके बाद हम ने कोई विशेष परिमाप नहीं किया है।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को यह पता नहीं है कि ये सब विदेशी अनुसंधानकर्ता अनुसन्धान के परिणामों को केवल जनता से ही नहीं बल्कि सरकार से भी छिपाते हैं तथा क्या उन्हें यह पता नहीं है कि अमेरिका में कुछ तैल कम्पनियों पर इसलिये अभियोग चलाया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें छिपाईं ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति शान्ति। आप तो जानकारी दे रहे हैं।

डा० रामा राव : क्या इस परिमाप कार्य से किसी भारतीय वैज्ञानिक का भी सम्बन्ध था ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां। हमारा एक भूभौतिकीवेत्ता परिमाप कार्य से सम्बद्ध था।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय सदस्य को पता है कि

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि वह जानकारी अवश्य प्राप्त करें परन्तु आरोप न लगाते हुए

श्री मेघनाद साहा : मैं जानकारी ही प्राप्त कहना चाह रहा हूं श्रीमान। क्या माननीय मंत्री को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जिस अमुक पदाधिकारी को कम्पनी के साथ कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया था उस से कम्पनी कोई बात गुप्त नहीं रखती थी ?

श्री के० डी० मालवीय: समझौते के अधीन हमारे प्रतिनिधि को परिमाप कार्य से सम्बद्ध रहने के लिये सब सुविधाएं दी गई थीं।

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

इम्फ़ाल में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४

*२३७. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या, **राज्य** मंत्री १० जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६७८ के उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत दो अवसरों पर—एक बार तो तत्कालीन उच्चायुक्त श्री हिम्मतसिंह के पदकाल में मनीपुर प्रदर्शनी में, तथा दूसरी बार पूर्व-उच्चायुक्त श्री ई० पी० मून के पदकाल में,

सन् १९५२ में धनामंजुरी कॉलिज की हड़ताल के दिनों में--इम्फ़ाल में दंड प्रक्रिया संहिता क धारा १४४ क्यों लगाई गई थी ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मार्च १९५१ तथा अप्रैल १९५२ में, इम्फ़ाल के कुछ क्षेत्रों में शान्ति भंग होने की सम्भावित घटनाओं को रोकने के लिये, निषेधात्मक आदेश जारी किये गये थे। वास्तविक स्थिति के बारे में मैं उच्चायुक्त से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

श्री एल० जे० सिंह: मेरा प्रश्न यह है। माननीय मंत्री ने मेरे दिनांक १० जून, १९५२ के प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता मनीपुर राज्य में लागू नहीं की गई है तथा यह कि दंड प्रक्रिया संहिता में उपयुक्त रूपभेद करके उसे मनीपुर राज्य में भी लागू करने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है। परन्तु, क्या मैं जान सकता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ इम्फ़ाल में, एक बार उच्चायुक्त श्री हिम्मत सिंह के ज़माने में और फिर दुबारा उच्चायुक्त श्री मून के पदकाल में, क्यों लागू की गई ?

डा० काटजू: श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र तो केवल प्रश्न दुहरा रहे हैं। मैं पहले ही इसका जवाब दे चुका हूं। आदेश ज़रूर दिये गये थे। अब मैं यह पता लगा रहा हूं कि ये आदेश वास्तव में किन परिस्थितियों के अन्तर दिये गये। मैं समझता हूं कि वहां एक छोटा सा क्षेत्र है जो डोमिनियन रिज़र्व के नाम से पुकारा जाता है। उस क्षेत्र में मनीपुर डोमिनियन रिज़र्व (विधियों की प्रयुक्ति) आदेश, जो १९४८ में पारित हुआ था, लागू है। मुझे वास्तविक परिस्थितियों का पता नहीं है। लेकिन ये दोनों उच्चायुक्त जा चुके हैं; अब वहां एक तीसरा उच्चायुक्त है। वस्तुतः ये बहुत पुराने मामले हैं और उनको अब उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।

नाग पहाड़ी भीगों को प्रतिकर

*२३८. **श्री एल० जे० सिंह**: क्या **रक्षा**मंत्री १९ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०३१ के उत्तर की ओर निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा पहाड़ी के लोगों को युद्ध में हुई क्षति का, जिसमें शत्रु की कार्यवाही के फलस्वरूप हुई क्षति भी शामिल है, प्रतिकर दिया गया था ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार मनीपुर के लोगों को भी, जिन्हें शत्रु की कार्यवाहियों के फलस्वरूप भारी नुक़सान उठाना पड़ा था, प्रतिकर देने का विचार कर रही है ?

सूचना चनातथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) आसाम के नागा पहाड़ी ज़िले में लोगों को केवल उसी क्षति का प्रतिकर दिया गया था जो मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप हुई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

श्री एल० जे० सिंह: माननीय मंत्री ने दिनांक १९ जून, १९५२ को पूछे गये मेरे प्रश्न संख्या १०३१ के उत्तर में यह बात स्वीकार कर ली थी कि युद्ध क्षति में वह क्षति भी शामिल है जो शत्रु की कार्यवाही के फलस्वरूप हुई हो; और दिनांक ७ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये प्रश्न संख्या ८६६ के उत्तर में भी उन्हों ने यह बतलाया था कि मनीपुर और कोहिमा को पहले ही दी चुकी युद्ध क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त कोहमा के लोगों को युद्धक्षति के, जिसमें शत्रु की कार्यवाही के फलस्वरूप हुई क्षति भी शामिल है, प्रतिकर के रूप में ३० लाख रुपये और दिये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि शत्रु की कार्यवाही के फलस्वरूप हुई क्षति का प्रतिकर मनीपुर के लोगों को क्यों नदिया जाये और कम से कम इस मामले

में मनीपुर और कोहिमा के साथ एक जैसा बर्ताव क्यों न किया जाये ?

डा० केसकर: मुझे आशंका है कि शायद माननीय सदस्य एक भ्रान्त धारणा बनाये हुए हैं। दोनों के साथ एक समान बर्ताव किया जाता है। सच तो यह है कि कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़ कर अन्य मामलों में यह पता लगाना बहुत कठिन है कि मित्र राष्ट्रों की कार्यवाही के फलस्वरूप हुई क्षति कौन सी है तथा शत्रु की कार्यवाही के फलस्वरूप हुई क्षति कौन सी है। विशेष रूप से बमों से नष्ट हुई सम्पत्ति के विषय में तो यह बात बहुत ही ज़्यादा कठिन है। हम सभी व्यक्तियों को, जिन्हों ने कि प्रतिकर का दावा किया, प्रतिकर देने में बड़े उदार रहे हैं और, जैसा कि सदन को ज्ञात है, २ करोड़ से भी अधिक रुपया प्रतिकर के रूप में दिया जा चुका है। सम्भवत: माननीय सदस्य को भ्रान्ति इसलिये हो गई है, क्योंकि ३० लाख रुपये के भुगतान के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि यह राशि शत्रु की कार्यवाही के फलस्वरूप हुई क्षति के प्रतिकर के रूप में दी गई थी। इसमें दोनों शामिल हैं।

भारत-तुर्की सांस्कृतिक करार

*२३९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-तुर्की सांस्कृतिक करार का, जिस पर २९ जून, १९५१ को हस्ताक्षर किये गये, दोनों सरकारों द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि कर दिया गया है, तो क्या इस करार के अन्तर्गत किसी भारतीय विद्वान को तुर्की तथा तुर्की के किसी विद्वान को भारत भेजा गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

डा० राम सुभग सिंह: क्या प्रशिक्षण के लिये सरकार ने कोई विशेषज्ञ तुर्की भेजा है या क्या कोई विशेषज्ञ तुर्की से आया है, जैसी कि करार में व्यवस्था थी ?

श्री के० डी० मालवीय: १९४९ में इस योजना के अन्तर्गत एक विद्यार्थी तो यहां से भेजा गया था और एक तुर्की की सरकार ने भेजना स्वीकार कर लिया है।

डा० राम सुभग सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं, श्रीमान्, कि इस करार में विद्यार्थियों के भेजे जाने के अतिरिक्त और क्या व्यवस्था है।

श्री के० डी० मालवीय : इस करार में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक ज्ञान की अदला-बदली के लिये विभिन्न सुविधायें दी जाने की व्यवस्था है, श्रीमान्।

श्री ए० एम० टामस : क्या हम नार्वेजियन करार के अन्तर्गत कोई और सामूहिक योजनायें चालू करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ ग़लतफ़हमी हुई प्रतीत होती है। वह प्रश्न तो इस से अगला है।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या सरकार तुर्की से एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल बुलाने का विचार कर रही है ; तथा यदि कर रही है, तो क्या इसमें महान् निज़ाम हिकमत जैसे लोग भी होंगे ?

पंचवर्षीय योजना

*२४०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्वे की सरकार ने भारत की पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में सहायता देना स्वीकार कर लिया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो नार्वे ने भारत को, उसकी विकास योजनाओं में अपने अंशदान के रूप में, कितना धन देना स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भ में इस प्रयोजनार्थ १ करोड़ क्रोनर की, जो लगभग ६७ लाख रुपये के बराबर हैं, व्यवस्था की गई है। नार्वे की सरकार तथा भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुए करार की प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में प्राप्य है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह ऋण भारत को किस विशिष्ट प्रयोजन के लिये दिया जा रहा है ?

श्री सी० डी० देशमुख : देश के विकास कार्य के लिये।

डा० राम सुभग सिंह : क्या देश के विकास-कार्य में नार्वे के पदाधिकारियों का भी हाथ होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं। प्रोफ़ेसर स्वेरडूप के नेतृत्व में एक नार्वेजियन प्रतिनिधिमंडल भारत आ पहुंचा है जो कि यहां के विकास-कार्य क्रम का सामान्य निरीक्षण करके यह पता लगायेगा कि कुछ चुनी हुई योजनाओं के सम्बन्ध में उनकी सहायता का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं वही प्रश्न फिर पूछ सकता हूं, अर्थात्, क्या सरकार नार्वेजियन करार के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त सामूहिक योजना प्रारम्भ करेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह ख्याल नहीं किया जाता, श्रीमान्, कि इस धनराशि का उपयोग किन्हीं अतिरिक्त सामूहिक योजनाओं को प्रारम्भ करने में किया जायेगा।

श्री हेम राज: नार्वेजियन कमीशन ने जो भारत वर्ष का दौरा किया है उस सरकार से जो सहायता मिलेगी उसमें क्या भारत सरकार ने उसके खर्च के लिये कोई स्कीम बनाई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : उनके खर्च के लिये भारत सरकार ने कोई स्कीम बनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सवाल यह है कि जो एड (सहायता) वह देने वाले हैं उसके बारे में क्या भारत सरकार ने बिहार के लिये कोई स्कीम बनाई है ?

श्री हेम राज : मैं ने पूछा भारत के लिये जो एड (सहायता) नार्वे सरकार से मिली है उसके खर्च के लिये भारत सरकार ने कोई स्कीम (योजना) बनाई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : भारत के लिये तो खास कर बनाई ही जायेगी।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह धन विकास की किसी विशेष योजना या विशेष कार्य के लिये अलग रख दिया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जैसा कि मैं ने पहले कहा, प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ योजना सम्बन्धी बातों की चर्चा करने के लिये भारत आया है। हमारे प्रतिनिधियों तथा योजना आयोग के साथ नार्वेजियन प्रतिनिधिमंडल की जो बैठकें हुईं उनमें हमने उन्हें कुछ योजनाओं के सुझाव दिये। कुछ योजनायें हिमालय के नुकीले पत्ते वाले वृक्षों के प्रदेशों के विकास के सम्बन्ध में हैं और कुछ त्रावनकोर-कोचीन के विकास के बारे में हैं। एक और योजना आसाम के जंगलों के विकास के विषय में है। इस प्रकार अन्य योजनायें भी हैं। विचार यह था कि हमारे लिये ऐसी योजनायें बनाई जायें जिन में नार्वे अपने विशेष टैक्निकल अनुभव से तथा वहां प्राप्य विशेष वस्तुओं से हमारी सहायता कर सके। प्रतिनिधिमंडल कुल्लू की घाटी का दौरा कर चुका है और अब वह शायद त्रावनकोर-कोचीन जा रहा होगा। वे लोग कुल्लू से लौट आये हैं। मुझे बताया गया है कि वे त्रावनकोर-कोचीन से भी वापस आ गये हैं। उनकी भारत सरकार के प्रतिनिधियों तथा योजना आयोग के सदस्यों के

साथ एक और भेंट होगी। हमें आशा है कि किसी परियोजना को अन्तिम रूप से चुना जा सकेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या भारत सरकार ने नार्वे सरकार से सहायता की मांग की या बात इस के विपरीत थी? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि दूसरों के आगे झोली फैलाना कहां तक हमारे देश की मान मर्यादा तथा आत्मसम्मान के समनुकूल है?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

श्री सी० डी० देशमुख: बात इसके विपरीत थी। यदि कोई दूसरा देश अतीव मैत्रीपूर्ण भावना से सहायता देने का प्रस्ताव करे, तो मेरी राय में ऐसी सहायता को स्वीकार करने से हमारे सम्मान में कोई अन्तर नहीं आ सकता।

अध्यक्ष महोदय: भारत सरकार ने सहायता मांगी या स्वयं नार्वे ने ही सहायता प्रस्तुत की?

श्री सी० डी० देशमुख: उन्हों ने पूछा था: क्या बात इसके विपरीत थी। मैं ने कह दिया: हां बात इसके विपरीत थी। सहायता के लिये हम ने आवेदन नहीं किया।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि क़रार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी हस्ताक्षर किये गये थे। इस करार से संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या सम्बन्ध है? क्या यह किसी योजना विशेष के सम्बन्ध में है?

श्री सी० डी० देशमुख: सरकार की इच्छा पर नार्वे ने यह करार संयुक्त राष्ट्र की मार्फ़त निष्पादित किया ताकि उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सके।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

लंका में भारतीय उद्भव के लोग

श्रीमती ए० काले: क्या **प्रधान मंत्री** लंका में भारतीय उद्भव के लोगों सम्बन्धी नवीनतम स्थिति पर एक वक्तव्य देंगे तथा विशेष रूप से यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४८ में उनके तथा लंका के स्वर्गीय प्रधान मंत्री के बीच हुई बातचीत के प्रसंग में वह "साधारण निवासी" शब्दों से क्या समझते हैं?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): सदन को ज्ञात होगा, श्रीमान्, कि इस सत्र के पहले दिन, अर्थात् ५ नवम्बर को, प्रोफ़ेसर अग्रवाल द्वारा मुझ से लंका के भारतीय उद्भव के नागरिकों के अधिकारों के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। मेरे सहकारी, उपमंत्री ने उस प्रश्न का उत्तर दिया था। अपने उत्तर में उन्हों ने यह आशा प्रकट की थी कि लंका सरकार नागरिकता सम्बन्धी अधिनियम की कार्यान्विति इस ढंग से करेगी जिससे लंका में रहने वाले उक्त लोगों की दशा सुधर सके तथा उनका मताधिकार प्राप्त करने का कार्य अधिक सुन्दर बन सके।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि तब से जो घटनायें हुई हैं उनसे यह आशा झूठी सिद्ध हुई है और इस समय स्थिति निराशाजनक है। हाल ही में लंका की संसद् में उस अधिनियम में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। यदि यह विधेयक क़ानून बन गया तो इसका लंका के भारतीय उद्भव के लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लंका के कोई सात लाख से अधिक भारतीय उद्भव के नागरिकों में से अधिकांश मताधिकार से वंचित हो जायेंगे। इसके अलावा, नागरिकता के अधिकार से वंचित होने के अतिरिक्त वे और भी अनेक क्षेत्रों में अनर्ह हो जायेंगे, जैसे कि वे अब भी हैं, और, उदाहरणार्थ, सोशल सीक्योरिटी तथा इन्श्योरेंस योजनाओं आदि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। अपना राशन लेने में भी उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतएव यह एक महत्वपूर्ण तथा

आवश्यक मामला है। मुझे पूर्ण आशा है कि लंका की सरकार इस सवाल पर, जिसका कि प्रभाव उसके लाखों नागरिकों पर पड़ेगा, अधिक व्यापक दृष्टिकोण से ध्यान देगी।

कुछ दिन हुए मैं ने लंका के प्रधान मंत्री के पास एक व्यक्तिगत अपील भी भेजी थी जिस में मैं ने यही आशा प्रकट की थी। परन्तु, मुझे खेद है, इस अपील का भी कोई परिणाम नहीं निकला।

लंका में रहने वाले भारतीय उद्भव के ये लोग भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं। उन में से अधिकांश का तो जन्म ही लंका में हुआ है और उनका सारा जीवन या जीवन का अधिकांश भाग लंका में ही व्यतीत हुआ है। अब, उन्हें लंका की नागरिकता से वंचित करने का अर्थ तो यह होगा कि उनका कोई देश ही नहीं रहेगा। इस प्रकार की असाधारण स्थिति पैदा करना निश्चय ही किसी सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकता।

स्पष्ट है कि लंका की संसद् के समक्ष प्रस्तुत संशोधक विधेयक को लाने की आवश्यकता प्रिवी कौंसिल के एक निर्णय के फलस्वरूप पड़ी जिसके द्वारा लंका की सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मान्य क़रार दिया गया। वाद-विषय यह है कि "साधारणतया निवासी" शब्दों का क्या अर्थ है। ये शब्द लंका, भारत तथा पाकिस्तान निवासी नागरिकता अधिनियम १९४९ में आये हैं। लंका के प्रधान मंत्री नें यह मंशा प्रकट की है कि इस मामले में वह अपने पिता, लंका के स्वर्गीय प्रधान मंत्री, के वचन को, अक्षरतः तथा भावतः, निभाना चाहते हैं। कुछ हद तक इस अमुक मामले से मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है क्योंकि सन् १९४८ में मैं ने इस विषय पर लंका के स्वर्गीय प्रधान मंत्री से काफ़ी लम्बी बातचीत की थी। अतएव मैं यह जानने का दावा कर सकता हूं कि इस सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रधान मंत्री के कहने का अभिप्राय मेरी समझ में क्या था। वस्तुतः मूल प्रस्थापना तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा ही की गई थी और मैं उससे सहमत हो गया था। वह यह थी कि किसी आवेदक के लंका में स्थायी रूप से वास करने के इरादे के प्रमाण के रूप में, उसकी स्त्री तथा अवयस्क बच्चे साधारणतया उसके साथ ही रहने चाहियें। मेरी समझ में उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। परन्तु लंका के रजिस्ट्रेशन कमिश्नर ने इस सम्बन्ध में अन्यथा विनिश्चय किया तथा कहा :—

> (१) कि आवेदक की स्त्री अपने विवाह की तारीख़ से या १ जनवरी, १९३९ से, जो भी बाद में हो, लंका में रहती हो ; तथा
>
> (२) कि । त्येक अवयस्क आश्रित बच्चा १ जनवरी, १९३९ से या उसके जन्म की तारीख से, जो भी बाद में हो, उसके साथ रहता हो।

इससे किसी व्यक्ति का लंका में स्थायी रूप से बसना केवल उसी का नहीं बल्कि उसकी स्त्री तथा उसके बच्चों के उसके साथ रहने पर निर्भर हो गया। लंका की सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन कमिश्नर द्वारा किये गये इस निर्वचन को अस्वीकार कर दिया। इस पर लंका की सरकार इस मामले को प्रिवी कौंसिल तक ले गई। प्रिवी कौंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ही ठीक करार दिया और अन्य बातों के साथ-साथ उसने कहा :

> "अधिनियम में कोई ऐसा स्पष्ट उपबन्ध नहीं है कि पति के लंका में स्थायी रूप से बसने की बात मानने के लिये यह ज़रूरी है कि उसकी स्त्री तथा बच्चे भी उसके साथ रहे हों, या पति के लिये अपेक्षित निरन्तर निवास की कम से कम कालावधि उसकी स्त्री तथा उसके बच्चों पर भी लागू होती है।"

प्रिवी कौंसिल ने यह भी कहा कि :

"यदि पति को स्वयं अपने रजिस्ट्रेशन के प्रयोजनार्थ यह सिद्ध करना पड़े कि उसकी स्त्री ने लंका में साधारण रूप से उस कालावधि से अधिक समय तक निवास किया है जितनी कि स्वयं उसकी स्त्री के रजिस्ट्रेशन के लिये आवश्यक थी, तो यह एक असाधारण उपबन्ध होगा।"

प्रिवी कौंसिल के अर्थ सम्बन्धी निर्णय का, जो—मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं—अधिनियम में तथा अधिनियम सम्बन्धी वाद-विवाद में स्पष्ट था, लंका तथा भारत में सामान्य रूप से स्वागत किया गया। हमें आशा थी कि इससे बहुत दिनों से चले आ रहे उस वादप्रतिवाद के निपटारे का प्रारम्भ हो जायेगा जो कि हमारे देशों के बीच मैत्रीपूर्ण तथा सहकारी सम्बन्धों के विकास किये जाने के मार्ग में अड़चनें पैदा कर रहा है। हम सभी यह चाहते हैं—तथा भूगोल, संस्कृति तथा इतिहास इसके द्योतक हैं—कि हमारे देशों के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित हों। मुझे अत्यन्त खेद है कि लंका की सरकार ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है और अब वह, एक संशोधक विधेयक द्वारा, अपनी सुप्रीम कोर्ट तथा प्रिवी कौंसिल के निर्णय को प्रभावहीन बनाने का प्रयत्न कर रही है। मेरी राय में प्रस्तावित संशोधन लंका के स्वर्गीय प्रधान मंत्री के उन विचारों के समनुकूल नहीं है जो उन्हों ने मेरे साथ लम्बी बातचीत के दौरान में प्रकट किये उस बातचीत का विवरण बाद में प्रकाशित भी किया गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि वे विचार लंका अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन से किस प्रकार मेल खा सकते हैं। वस्तुतः यह संशोधन तो मुझे उस समझौते के प्रतिकूल मालूम देता है जो कि मेरे तथा लंका के स्वर्गीय प्रधान मंत्री के बीच हुआ था। मुझे तो इस विषय में कोई सन्देह नहीं है। यदि लंका के प्रधान मंत्री को ऐसे कोई सन्देह हैं तो इस मामले पर विचार किया जा सकता है। मैं इस सवाल के सब पहलुओं पर पूर्णरूप से विचार करने तथा इसके दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत किसी स्वतंत्र प्राधिकार को सौंपे जाने की बात मानने को तैयार हूं।

मुझे पूर्ण आशा है कि इस महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय जल्दी में नहीं किया जायेगा। जैसा कि मैं ने इस उत्तर के प्रारम्भ में कहा है, लंका के प्रधान मंत्री ने हाल ही में कुछ ऐसे क़दम उठाये हैं जिन से हमें कुछ उम्मीद हुई कि लंका के भारतीय उद्भव के नागरिकों की स्थिति कुछ-कुछ सुधर जायेगी। समस्या का हल उसी प्रकार निकाला जा सकता है, कोई ऐसी बात करके नहीं जिससे परिस्थिति अत्यधिक कठिन हो जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पूर्व-सैनिकों का बसाया जाना

*२२७. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्व-सैनिकों को बसाने के लिये बस्तियां स्थापित करने की कितनी योजनायें चालू की गई हैं ?

(ख) क्या इन सब बस्तियों में सहकारी समितियां बनाई गई हैं ?

(ग) क्या इन बस्तियों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(घ) यदि शिकायतें मिली हैं, तो क्या, और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा उपमंत्रीजी (सरदार म जीठिया) : (क) पंजाब, उत्तर प्रदेश, भोपाल, हैदराबाद, मद्रास, मैसूर तथा त्रावनकोर-कोचीन में पूर्व-सैनिकों को भूमि देकर बसाने की नौ योजनायें प्रारम्भ की गई हैं।

(ख) मद्रास राज्य में जम्बुवनोडी बस्ती में एक टेनेंट फार्मिंग कोओपरेटिव सोसाइटी के अतिरिक्त को ई नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

तम्बाकू शुल्क

*२३३. **श्री वाल्मीकि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में सरकार को किन-किन राज्यों से अधिक तम्बाकू शुल्क लिये जाने की शिकायतें मिलीं ; तथा

(ख) इसके लिये तम्बाकू शुल्क सम्बन्धी क़ानूनों की कार्यान्विति कहां तक उत्त रदायी है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) कभी-कभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, जहां कि तम्बाकू कहीं-कहीं उगाया जाता है, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों द्वारा तम्बाकू उत्पादकों की उपज के अधिक निर्धारण किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जिन ज़िलों में तम्बाकू बहुत बड़े क्षेत्रों में फैले हुए बहुत से भूखंडों में दूर-दूर उगाया जाता है, वहां केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों के लिये उत्पादित तम्बाकू के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सब उत्पादकों से, समुचित समय पर, मिलना सम्भव नहीं हो सका है। ख्याल किया जाता है कि कुछ तम्बाकू-उत्पादकों ने इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा कर अपनी कुल या कुछ उपज को शुल्क दिये बिना बेच दिया। जहां-जहां ऐसा हुआ है, वहां-वहां केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों को तम्बाकू उत्पादकों के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही न करके सरसरी तौर से निर्धारण करना पड़ा है। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कभी-कभी अधिक निर्धारण हो गया हो। इस लिये सरकार उत्पादकों द्वारा शुल्क बचाये जाने तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों द्वारा अधिक निर्धारण किये जाने की सम्भावनाओं को, जहाँ तक सम्भव हो, समाप्त करने की दृष्टि से एक योजना पर विचार कर रही है जिसमें इन इन बातों की व्यवस्था है : (१) राज्य सरकार के ग्राम अधिकारियों द्वारा तम्बाकू-उत्पादकों का रजिस्ट्रेशन किया जाना, (२) फसल काटने के प्रयोगों को सुव्यवस्थित रूप दिया जाना, तथा (३) ऐसे प्रयोगों के आधार पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों द्वारा निर्धारित करों की राज्य सरकार के लम्बरदारों, या अन्य ग्राम अधिकारियों द्वारा वसूली।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

*२३४. **श्री कृष्ण चन्द्र** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना के अन्तर्गत वर्ष १९५१-५२ में दस-दस रुपये वाले प्रमाणपत्रों में केवल १७·१८ लाख रुपये विनियोजित किये गये हैं जब कि सौ-सौ रुपये वाले प्रमाणपत्रों में १९९·२१ लाख रुपये लगाये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो सरकार राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना के अन्तर्गत छोटी-छोटी बचत प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) जी हां।

(ख) इस बात को स्वीकार किये बिना कि सौ-सौ रुपये के प्रमाणपत्रों में लगाया जाने वाला धन छोटी-छोटी बचतों का नहीं होता, मैं यह बतला दूं कि सरकार, प्रकाशना तथा प्रचार द्वारा तथा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों का कमीशन पर बिक्री के लिये कुछ राज्यों में अपने अधिकृत एजेन्ट तथा देहाती इलाकों में अविभागीय ब्रांच पोस्टमास्टर नियुक्त कर

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये विभिन्न कार्यवाही कर रही है।

राष्ट्रमंडल वित्त वार्ता

*२४१. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में लन्दन में हुई राष्ट्रमंडल वित्त वार्ता के दौरान में भारत के स्टर्लिंग क्षेत्र से अलग हो जाने के सवाल पर भी चर्चा की गई थी ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या-क्या विनिश्चय किये गये ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या इस सवाल पर राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में विचार किया जायेगा ?

(घ) स्टर्लिंग क्षेत्र से ब्रिटेन को प्रतिवर्ष औसतन कितना "अदृश्य लाभ" होता है ?

(ङ) भारत के अंशदान की प्रतिशतता क्या है ?

(च) भारत को स्टर्लिंग क्षेत्र में रहने से किस रूप में लाभ होता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(ग) इसकी सम्भावना मालूम नहीं देती।

(घ) तथा (ङ). यह बतलाना सम्भव नहीं है कि संयुक्त राज्यतंत्र को भारत या अन्य देशों के स्टर्लिंग क्षेत्र म रहने से क्या लाभ, यदि कोई हो, होता है। परन्तु यदि माननीय सदस्य के ध्यान में जहाज़रानी, बीमा तथा अन्य सेवाओं से होने वाली आय जैसी अदृश्य आय हैं, तो संयुक्त राजतंत्र को सन् १९५१ में स्टर्लिंग क्षेत्र से ३४३ करोड़ रुपये की तथा भारत से ८ करोड़ रुपये की शुद्ध अदृश्य आय हुई थी।

(च) भारत को स्टर्लिंग क्षेत्र का सदस्य रहने से जो मुख्य लाभ होते हैं वे ये हैं : (१) क्योंकि स्टर्लिंग का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में होता है, अतः भारत स्टर्लिंग क्षेत्र का सदस्य होने के नाते, अधिक से अधिक देशों के साथ व्यापार कर सकता है, तथा (२) भारत स्टर्लिंग क्षेत्र की केन्द्रीय स्वर्ण तथा डौलर रक्षित निधि का उपयोग करके अन्य देशों के साथ व्यापार तथा भुगतानों में भारी उतार-चढ़ाव का मुक़ाबला कर सकता है।

रूस से सहायता

*२४३. **श्री के० आर० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूस से अपने विकास कार्यों के लिये वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव मिला था ; तथा

(ख) क्या रूस संयुक्त राष्ट्र संगठन के अधीन परस्पर सहायता निधि में अंशदान करता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) जहां तक हमें मालूम है रूस संयुक्त राष्ट्र संगठन के किसी भी सहायता कार्यक्रम में अंशदान नहीं करता।

घूसखोरी तथा ग़बन

*२४४. **श्री सिंहासन सिंह** : (क) क्या **गृह कार्य** मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की ओर से १९५२ में अब तक उसके अपने पदाधिकारियों के विरुद्ध घूसखोरी, गबन आदि के सम्बन्ध में कितने अभियोग चलाये गये हैं ?

(ख)-उनके फलस्वरूप कितनों को दड दिया गया तथा कितने पदाधिकारियों को सन्देह के कारण और कितनों को निर्दोष होने

के कारण छोड़ दिया गया ? इन सब के पद भी बताये जावें ।

(ग) क्या सरकार को विदित है कि नार्थ तथा साउथ एवेन्यु, नयी दिल्ली, में संसद् सदस्यों के लिये हाल में जो फ्लैट्स बनाये गये हैं उनमें जो फर्नीचर तथा अन्य वस्तुए दी गई हैं उनका मूल्य सरकार से बाज़ार भाव से १०० से लेकर २०० प्रतिशत तक अधिक लिया गया था और क्या सरकार इस विषय में कोई जांच करवाने को तैयार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख)–

अभियोग चलाये गये	६१
दंड दिया गया	कोई नहीं
संदेह लाभ दिया गया	कोई नहीं
छोड़ दिये गये	३

अन्य मामले विचाराधीन हैं ।

ये आंकड़े ३० सितम्बर, १९५२ तक के हैं । इतने कम समय में प्रत्येक का पद बतलाना तो संभव नहीं है । हां, इतना कहा जा सकता है कि आरोप लगाये गये व्यक्तियों में एक रेलवे का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक कन्ट्रोलर ऑफ़ स्टोर्स (टेलीग्राफ़्स), अधीन डाक कर्मचारी, स्टेशन मास्टर, क्लर्क तक अन्य अधीन रेलवे कर्मचारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियर तथा अन्य अधीन कर्मचारी, उत्पादन-शुल्क विभाग के अधीन कर्मचारी, सैनिक पदाधिकारी तथा अन्य अधीन कर्मचारी आदि शामिल हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान श्री एम० एल० अग्रवाल द्वारा २९ जुलाई, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५८७ के सम्बन्ध में निर्माण, ह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

विदेशी सार्थी द्वारा छात्र वृत्तियां दिया जाना

८१. **डा० अमीन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन छात्र-वृत्तियों पर कोई नियंत्रण है जो कुछ विदेशी सार्थों द्वारा विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के हेतु भारतीय विद्यार्थियों को दी जा रही हैं ।

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो १९५२ में कुल कितने व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां मिलीं ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी नहीं । परन्तु, अभ्यर्थियों के चुनाव में सहायता, यदि मांगी जाये, दी जाती है ।

(ख) भारत सरकार की मार्फ़त दस छात्र चुने गये थे ।

राजस्थान में खुदाई

८२. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीज़न (राजस्थान) के उत्तरी भाग में हाल में की गई खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) खुदाई में पाई जाने वाली ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के कहां रखे जाने का विचार है ; तथा

(ग) ये चीज़ें किस काल की हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग). सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३**]

प्रेसों द्वारा ज़मानतें

८३. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ में

भारत के केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्यों में किन-किन प्रेसों ने सरकार द्वारा मांगी गई ज़मानतें जमा कीं तथा प्रत्येक ने कितनी-कितनी रक़म दी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४]**

असरकारी व्यवसायों को वित्तीय सहायता

८४. श्री ए० सी० गुहा : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त १९४९ के बाद किन्हीं असरकारी व्यवसायों या औद्योगिक सार्थों को ऋण या अंश पूंजी या किसी अन्य प्रकार के नकद भुगतान के रूप में कोई वित्तीय सहायता दी है ; तथा

(ख) यदि दी है, तो ऐसे व्यवसायों तथा सार्थों के नाम क्या हैं तथा उनके साथ क्या-क्या शर्तें तथा बातें तय हुई हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

गर्ल गाइड संगठन

८५. श्री मादिया गौडा : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के स्काउट तथा गर्ल गाइड संगठन को कितना अनुदान दिया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]**

बिना मुकदमा चलाये नज़रबन्दी

८६. श्री केशवैयंगार : (क) क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त, १९५२ से देश में, राज्यवार, कितने व्यक्ति बिना मुकदमा चलाये नज़रबन्द हैं ?

(ख) इनमें से कितने राजनैतिक कारणों से नज़रबन्द हैं ?

(ग) कितने अन्य कारणों से नज़रबन्द हैं ?

(घ) उनकी नज़रबन्दी के अन्य कारण किस प्रकार के हैं ?

(ङ) उनमें से कितने चोर बाज़ारी करने वाले बतलाये जाते हैं ?

(च) क्या देश के सभी कई राज्यों में अधिकरण स्थापित हो गये हैं तथा यदि केवल कुछ ही राज्यों में हुए हैं तो किन-किन में तथा उनके सदस्य कौन-कौन हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

(च) सम्भवत: "अधिकरणों" से माननीय सदस्य का अभिप्राय हाल में संशोधित निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत निर्मित मंत्रणा बोर्डों से है । इन बोर्डों के सदस्यों के बारे में राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और वह यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

विशेषज्ञ समिति (उत्पादन-शुल्क)

८७. डा० अमीन : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशषेज्ञ समिति (उत्पादन-शुल्क) की रिपोर्ट किस तारीख को सरकार को दी गई ;

(ख) उस समिति की स्थापना तथा कार्य-संचालन पर कुल कितना धन व्यय हुआ ; तथा

(ग) सरकार इस समिति की सिपारिशों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भारत सरकार को १५ सितम्बर, १९५१ को दी गई थी ।

(ख) इस मंत्रालय में प्राप्य जानकारी के अनुसार २४०६४ रुपये ४ आने । परन्तु यह आंकड़ा अन्तिम नहीं समझा जाना चाहिये क्योंकि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अधीन संस्थाओं द्वारा जो व्यय किया गया होगा उस के सम्बन्ध में विवरण तुरन्त ही प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय बहुत कम दिया गया है ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान उनके दिनांक १८ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७० के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है । उसके बाद समिति की प्रत्येक सिपारिश पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । राज्य सरकारों को ऐसी सब सिपारिशों के सम्बन्ध में लिखा गया है जिनकी क्रियान्विति का अधिकार संवैधानिक रूप से राज्य सरकारों पर है । ऐसी औषधीय तथा प्रसाधन सामग्रियों पर, जिनमें स्प्रिट, अफ़ीम तथा अन्य पिनक लाने वाली चीज़ें पड़ी हों, कर की दर सारे भारत में एक सी बनाने के लिए संसद् में एक विधेयक पुरःस्थापित किये जाने की प्रस्थापना पर बहुत काफ़ी विचार हो चुका है । इन चीज़ों के राज्यों के बीच होने वाले व्यापार के नियंत्रण के जटिल प्रश्न पर भी ध्यान दिया जा रहा है ।

बुधवार,
१२ नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार १२ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-५४ म० पू०

पश्चिमी बंगाल निष्क्रान्त सम्पत्ति (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मन्त्री (डा० काटजू) : मैं पश्चिमी बंगाल निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम १९५१ जैसे कि इसे त्रिपुरा तक विस्तारित किया गया है, का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पश्चिमी बंगाल निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम १९५१, जैसे कि इसे त्रिपुरा तक विस्तारित किया गया है, का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव पुरःस्थापित करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव

आन्ध्र प्रान्त के निर्माण के लिए श्री पोट्टी श्रीरामुलु द्वारा अनशन

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को यह बताना भूल गया कि मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। यह श्री पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन जो कि उन्होंने आन्ध्र प्रान्त के निर्माण के लिये किया है, से सम्बन्ध रखता है तथा इसमें कहा गया है कि इससे सम्बन्धित कोई भी दुर्घटना मद्रास राज्य में विशेषकर इसके आन्ध्र क्षेत्र में शान्ति भंग कर सकती है।

भाषावार प्रान्तों के प्रश्न पर सदन में हाल ही में एक सर्वांगपूर्ण बहस हुई है तथा, प्रत्यक्षतः हम प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत इस प्रश्न पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं।

जहां तक किसी व्यक्ति द्वारा अनशन करने का सम्बन्ध है, चाहे उसके इरादे कितने ही अच्छे क्यों न हों, हम इसे संज्ञेय नहीं समझ सकते हैं।

जहां तक मद्रास राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था के भंग होने के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस पर ध्यान देना तथा कार्यवाही करना मद्रास सरकार का काम है, मेरे विचार में हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मन्त्री (श्री **बिश्वास**) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"लोक-सभा तथा राज्य विधान सभाओं में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन तथा उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध रखने वाला विधेयक निम्न सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन दिनांक २२ नवम्बर, १९५२ तक पेश करने का निर्देश दिया जाये :—

श्री **एम०** अन्तशयनम् **अय्यंगर**, श्री भवनजी ए० खीमजी, श्री श्यामनन्दन सहाय, श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, श्री के० एल० मोरे, पंडित लिंगराज मिश्रज, श्री रोहिणीकुमार चौधरी, पंडित लक्ष्मी कान्त मैत्रा, श्री मोहन लाल सक्सेना, श्री एन० एम० लिंगम् श्री उदयशंकर दुबे, चौधरी रघुबीरसिंह, श्री गेनीमल कास्लीवाल. श्री रनबीरसिंह चौधरी, श्री गोविन्द हरि देशपांडे, सरदार अमरसिंह सहगल, श्री कोटा रघुरामैय्या, श्री कृष्णाचार्य जोशी, श्री लीलाधर, जोशी श्री ए० एम० टामस, श्री सी० आर० बसप्पा श्री माधव रेड्डी श्री च्योतराम पर्वबराय गिडवानी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री गिरिराज शरणसिंह, डा० माणिक्यचन्द जाटव वीर, महाराज राजेन्द्र नारायण सिंह देव, श्री एन० आर० एम० स्वामी श्री राधाचरण शर्मा, श्री रनजीतसिंह, श्री पी० एन० राजभोज, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, श्री बी० एस० मूर्ति, श्री एन० सी० चटर्जी, डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा प्रस्तावक।"

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार संसद को ऐसा विधेयक अधिनियमित करने का न केवल अधिकार है अपितु यह इसका कर्तव्य भी है। इसके परिणामस्वरूप हमें संविधान में कोई संशोधन नहीं करना होगा। संविधान के अनुच्छेद ८१ (३) में इस सम्बन्ध में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट की गई है। इसी तरह अनुच्छेद १७० (४) में भी प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऐसा ही उपबन्ध रखा गया है।

इस विधेयक का उद्देश्य संविधान में रखे गये इन उपबन्धों के क्रियान्वित करने के लिये अपेक्षित व्यवस्था करना है, इसमें सन्देह नहीं कि गत साधारण चुनाव के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई थी यह उससे कुछ भिन्न है, जहां तक गत चुनाव का सम्बन्ध था इसके लिये जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० में प्रक्रिया निश्चित की गई थी, इस अधिनियम की धारा १३ में कहा गया था कि 'इस अधिनियम के लागू होने के बाद अध्यक्ष प्रत्येक भाग (क) राज्य तथा जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ के प्रत्येक भाग (ख) राज्य के सम्बन्ध में एक सलाहकार समिति नियुक्त करेगा। सलाहकार समिति में सम्बन्धित राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे, तथा बिलासपुर कुर्ग तथा अंडमान और निकोबार को छोड़ कर प्रत्येक भाग (ग) राज्य के सम्बन्ध में यह सलाहकार समिति संसद में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य अथवा सदस्यों पर बनी होगी।

श्रीमान्, निर्वाचन आयोग को इस धारा के अन्तर्गत सलाहकार समिति के परामर्श से परिसीमन के सम्बन्ध में कुछ प्रस्थापनाएं

तैयार करनी थीं तथा फिर उन प्रस्थापनाओं को राष्ट्रपति के समक्ष पेश करना था ताकि वह आदेश तैयार कर सकें, आदेश तैयार होने के बाद इसे संसद में पेश करना था तथा संसद को इस की प्राप्ति के २० दिन के अन्दर अन्दर इसमें उचित संशोधन करने का अधिकार था।

परन्तु गत चुनाव से हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रक्रिया को दुहराने के तत्पर नहीं। अब हमें इन निर्वाचन क्षेत्रों में गत जनगणना से सम्बन्धित आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधित्व व्यवस्था का पुनः समायोजन करना है, सुझाव यह है कि परिसीमन कार्य के लिये एक शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र समिति होनी चाहिये जो जनता में विश्वास की भावना पैदा करे, प्रस्थापना यह है कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के दो जजों अथवा भूतपूर्व जजों पर बना एक आयोग नियुक्त किया जायगा तथा इन दो सदस्यों के साथ चुनाव कमिश्नर भी काम करेगा, यह बात माननी होगी कि चुनाव कमिश्नर ऐसे आयोग में काम करने के सर्वथा योग्य है, गत चुनाव के लिये परिसीमन का जो कार्य हुआ, उससे वह सुपरिचित हैं, उनके पास आवश्यक तथ्य तथा आंकड़े भी हैं, श्रीमान् मेरा अनुरोध यह है कि ऐसे निकाय को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाना चाहिये। कोई भी आयोग इससे अधिक स्वतन्त्र तथा बाहरी प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता है; स्वभावतः यह जनता का विश्वासपात्र होगा, इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ सुझाव यह भी दिये गए हैं कि अन्तिम निर्णय संसद पर छोड़ा जाना चाहिये जैसे कि पिछली बार किया गया था, परन्तु विचार विमर्श के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि संसद के सदस्यों का इसमें जितना कम हाथ होगा उतना ही अच्छा होगा।

दूसरा प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि यद्यपि चुनाव कमिश्नर विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में ठीक राय दे सकता है फिर भी उसे किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में उतनी स्थानीय जानकारी प्राप्त नहीं होगी जितनी कि परिसीमन के कार्य के लिए होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में प्रस्थापना यह है कि जब कभी किसी राज्य में यह आयोग परिसीमन का कार्य कर रहा हो तो इसमें दो से लेकर चार तक विनियुक्त सदस्य होंगे, वह चुने हुए नहीं होंगे अपितु राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे, विनियुक्त सदस्य को आवश्यक रूप से मत देने का अधिकार नहीं। और न ही इसका यह मतलब होगा कि वह एक निर्वाचित सदस्य होगा।

मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि इन सदस्यों को चाहे यह राज्य की विधान सभा से लिए गए हों अथवा उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों में से लिए गए हों, इन्हें मत देने का अथवा कमीशन के अन्तिम निर्णय पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं होगा, वह चर्चा में अवश्य ही भाग लेंगे परन्तु अन्तिम निर्णय वही होगा जो कि कमीशन के सदस्य न कि विनियुक्त सदस्य करेंगे।

विधेयक के खंड ७ में उन सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कुछ अनुदेश दिये गये हैं जिनके आधार पर आयोग को परिसीमन का काम करना होगा, इन प्रश्नों के सम्बन्ध में अलग अलग राय प्रकट की जा सकती है और अलग अलग रायें प्रकट की भी गई हैं। मैं निवेदन करता हूं कि भिन्न भिन्न विचारों के गुण दोषों पर इस सदन में चर्चा करना आवश्यक नहीं क्योंकि इन पर प्रवर समिति में भी विचार होगा तथा केवल उन्हीं सुझावों को स्वीकृत किया जायगा जिन्हें कि प्रवर समिति उचित समझेगी।

(चर्चाधीन प्रस्ताव जिसका पहिले उल्लेख किया गया है उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया।)

श्री **दामोदर** मेनन (कोज्हीकोडि): मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक उसी प्रवर समिति को सौंपा गया है जो कि संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में कल नियुक्त की गई है।

विधेयक के खंड ३ में परिसीमन आयोग के सम्बन्ध में जो व्यवस्था रखी गई है उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, इस व्यवस्था से इस आयोग की निष्पक्षता निश्चित हो जाती है।

विनियुक्त सदस्यों के सम्बन्ध में जो यह उपबन्ध रखा गया है कि उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा, सो ठीक है, परन्तु इस खंड में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि विरोधी दल को भी इस कमीशन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये जिससे कि आयोग उनके विचारों से फायदा उठा सके, दूसरी कठिनाई यह है कि इस आयोग में इसका ज़्यादा से ज़्यादा चार विनियुक्त सदस्य हो सकते हैं, तथा त्रावण-कोर कोचीन जैसे छोटे राज्य के लिये यह संख्या दो ही हो सकती है, ऐसी दशा में उस राज्य के अध्यक्ष के लिये नामीकरण का काम कठिन होगा, उन्हें संसद से एक सदस्य लेना होगा तथा इस तरह से वह राज्य की विधान सभा से केवल एक ही सदस्य ले सकते हैं। तो फिर विरोधी पक्ष की बारी कहां आयेगी।

दूसरे नामीकरण का अधिकार राज्य विधान सभा के अध्यक्ष को दिया गया है लोक-सभा के सदस्य को भी वही नाम निर्दिष्ट करेंगे, यह एक अजीब बात है। होना तो यह चाहिये था कि लोक-सभा के सदस्यों को लोक-सभा के अध्यक्ष ही नाम निर्दिष्ट करते, मुझे आशा है कि प्रवर समिति इस बात पर ध्यान देगी।

जहां तक खंड ७ (१) का सम्बन्ध है सदन को एक दुःसह स्थिति का सामना करना होगा, यदि हम लोक-सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे तो यह सदन कुछ भारी भरकम हो जायगा, हमें इस स्थिति का निवारण करना होगा, इसके उलट यदि हम अनुच्छेद ८१ के खंड (१) (ख) के अन्तर्गत लोगों की अधिकतम संख्या बढ़ा देंगे तो निर्वा-चन क्षेत्र भी कार्यसंचालन की दृष्टि से बहुत बड़े होंगे। श्रीमान् मेरा निवेदन यह है कि इस पर ध्यानपूर्वक विचार होना चाहिये तथा यदि यह काम संविधान का संशोधन किये बिना ही हो सकेगा तो यह और भी अधिक अच्छा होगा।

श्री **राघवाचारी** (पेनुकोंडा): श्रीमान्, प्रस्थापित परिसीमन आयोग के सम्बन्ध में इस विधेयक में जो उपबन्ध रखा गया है, उसे देख कर कुछ कुछ निराशा होती है, इस आयोग के सदस्य आदि से लेकर अन्त तक मनो-नीत होंगे। धारा सभाओं अथवा संसद से जो सदस्य लिये जायेंगे वह भी मनोनीत होंगे, वह विनियुक्त सदस्य होंगे तथा उन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा, इसी तरह इस आयोग का निर्णय अन्तिम होगा तथा इसे संसद अथवा किसी विधान सभा में भी पेश नहीं किया जायगा, यह सचमुच एक दुर्भा-ग्यपूर्ण स्थिति है।

गत अवसर पर हमें इस सम्बन्ध में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कई बार केवल सिद्धान्तों को लागू करने के ही दृष्टिकोण से काम नहीं किया गया अपितु इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि कैसे एक ऐसे परिसीमित

निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण हो जो कि किसी सदस्य विशेष के लिये सहायक, अनुकूल तथा सुरक्षित सिद्ध हो सके। इस सम्बन्ध में कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिनका कि, उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी ज्ञान है, सारांश यह कि इस सम्बन्ध में सदैव किसी विशेष सिद्धान्त पर काम नहीं होता है, कभी कभी इन अधिकारों को इस तरह से प्रयोग में लाया जाता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, बिना किसी सिद्धान्त का अनुसरण किये एक न एक तरफ होता है। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि इस आयोग के सदस्य इस सदन से अथवा अन्य विधान सभाओं से लिये जाने चाहियें, वह निर्वाचित होने चाहियें, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नहीं होने चाहियें, लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया यही है।

इसी तरह से जैसे कि मेरे मित्र ने सुझाव दिया है, इसमें विरोधी दल को पर्याप्त प्रतिनिधित्व अवश्य ही प्राप्त होना चाहिये।

जहां तक विनियुक्त सदस्यों का सम्बन्ध है मेरा निवेदन यह है कि इनकी निम्नतम तथा अधिकतम संख्याएं दो तथा चार के स्थान पर क्रमशः तीन तथा पांच अथवा पांच तथा सात रखी जानी चाहियें, विमतिपत्र के लिये भी कोई गुंजाइश नहीं रक्खी गई है, यह भी खेद की बात है उन्हें मत देने का अधिकार हो अथवा न हो, किन्तु उन्हें अपना विमतिपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होनी चाहिये।

जांच आयोग विधेयक जो कि हाल ही में इस सदन द्वारा पारित किया गया है, को दृष्टि में रखते हुए मैं समझता हूं कि प्रक्रिया के सम्बन्ध में इस विधेयिक में जो खंड रखा गया है वह अनावश्यक है, सम्भवतः यह खंड अर्थात् खंड ६ उस विधेयक के पारित होने से पूर्व इस विधेयक में रखा गया है।

जहां तक आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने का सम्बन्ध है मैं निवेदन करता हूं कि यह अन्तिम नहीं होनी चाहिये। इसे संसद में पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा फिर इस पर कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

अन्त में चुनाव कमिश्नर को इसमें 'गलती' अथवा 'भूल चूक' ठीक करने का अधिकार दिया गया है, ऐसी दशा में इस बात की आशंका हो सकती है कि वह गलती के बहाने किसी भी आदेश में हेर फेर करें, मैं निवेदन करता हूं कि शब्द 'गलती' के साथ "जो अधिक महत्व की न हो" का विशेषण जोड़ दिया जाये जैसे कि इसे शब्द 'भूल चूक' के साथ जोड़ दिया गया है।

अन्त में मेरा सुझाव यह है कि विरोधी दलों के सदस्यों को इस आयोग में अपने विचार प्रकट करने का अवश्य ही मौका मिलना चाहिये।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली): श्रीमान्, मैं परिसीमन आयोग विधेयक का समर्थन करती हूं क्योंकि यह एक संवैधानिक आवश्यकता है, संविधान के अनुच्छेद ८१ (३) तथा अनुच्छेद १७० (४) के अन्तर्गत हमें हर जनगणना के बाद अपने विनर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करना होगा, इस लिये मैं इस निकाय की स्थापना का सामान्यतः स्वागत करती हूं।

जहां तक इस विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है, मुझे खंड ५ के बारे में शिकायत है। जैसे कि पूर्ववक्ताओं ने बताया इसमें इस बात का कोई ज़िक्र नहीं कि विरोधी दलों के सदस्यों को भी इस आयोग में लिया जायगा। गत अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली राजनीतिक दल क्या प्रभावशाली व्यक्ति भी परिसीमन का कार्य अपनी इच्छानुसार करवा सकते हैं। अतः

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

धारी दल यह काम इस ढंग से करवा सकता है कि वह फायदे में रहे तथा अधिक सीटों पर कब्जा कर सके, इसलिये यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि विरोधी पक्षों को इस आयोग में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । इस उद्देश्य पूर्ति के लिये मैं सुझाव दूंगी कि इस आयोग में विनियुक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या चार से बढ़ा कर पांच कर दी जाये जिससे कि विभिन्न विरोधी पक्षों के प्रतिनिधियों को आयोग में लिया जा सके ।

दूसरी बात यह है कि विनियुक्त सदस्य विधान सभाओं के अध्यक्षों द्वारा नामनिर्दिष्ट न हो के निर्वाचित होने चाहियें । वह एकल संक्रमणीय मत द्वारा विधान सभा के सदस्यों तथा लोक-सभा में उस राज्य के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुने जाने चाहियें । अथवा यदि प्रवर समिति को यह प्रस्थापना स्वीकार नहीं होगी तो मैं और एक सुझाव दूंगी तथा वह यह है कि यह सदस्य विभिन्न विधान सभाओं के अध्यक्षों द्वारा नामनिर्दिष्ट न हो के स्वयं आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने चाहियें । यह आयोग एक निष्पक्ष निकाय होगा तथा किसी राजनीतिक दल विशेष के प्रभाव में नहीं होगा, आजकल के राजनीतिक वातावरण को देखते हुये हमें मानना होगा कि विधान सभाओं के अध्यक्ष एक दल विशेष के साथ सम्बन्ध रखते हैं, एक पेप्सू को छोड़ कर शेष भारत में विधान सभाओं के सभी अध्यक्ष कांग्रेसी हैं । दुर्भाग्यवश अभी यहां यह रूढ़ि स्थापित नहीं हुई है कि अध्यक्ष एक निर्दलीय व्यक्ति होना चाहिये । इस देश में विधान मण्डलों के अध्यक्ष यहां तक घोषणा कर गये हैं कि वह एक दल विशेष से सम्बन्ध रखते हैं, ऐसी दशा में हम कैसे आशा रख सकते हैं कि हमें परिसीमन आयोग में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा यदि नाम निर्देशन का काम अध्यक्षों पर छोड़ा गया ।

विनियुक्त सदस्यों को आयोग में मत देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है । उन्हें कम से कम यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपनी राय लिख के दे सकें । तथा कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उनकी राय पर ध्यानपूर्वक विचार होना चाहिये ।

प्रवर समिति इस प्रश्न पर भी विचार कर सकती है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को रखना वांछनीय होगा अथवा नहीं, गत चुनावों में हमने देखा है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ना कितना कठिन है । कांग्रेस जैसे शक्तिशाली तथा सत्ताधारी दल के पास इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिये साधन हों, परन्तु छोटी पार्टियों तथा स्वतन्त्र उम्मीदवारों के लिये यह काम असम्भव है, अब हम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की अधिकतम सीमा साढ़े सात लाख से बढ़ा कर साढ़े आठ लाख कर रहे हैं, इस तरह से यह कठिनाई और भी बढ़ जायेगी, इसलिये मैं निवेदन करती हूं कि आप शहरी क्षेत्रों को छोड़ कर जहां कि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं, शेष सभी जगहों पर एकल सदस्मीय निर्वाचन रखें ।

उपाध्यक्ष महोदय: अनुसूचित जातियों के लिये भी ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी: जी हां, श्रीमान् अनुसूचित जातियों के लिये क्षेत्र निश्चित किये जायें, दस वर्ष के बाद हमें रक्षित स्थानों को समाप्त करना है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित लोगों की संख्या काफी हो, वह केवल अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये ही सुरक्षित रखे जायें, बाकी लोगों को अन्य

निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा।

मैं श्री राघवाचारी से पूर्णतया सहमत हूं कि इस आयोग की रिपोर्ट पहले संसद् में पेश होनी चाहिये तथा फिर इसके आधार पर आदेश आदि जारी होने चाहियें। इसी तरह मैं उनके इस सुझाव से भी सहमत हूं कि खंड ९ में शब्द "गलती" के साथ "जो अधिक महत्व की न हो" शब्द जोड़ दिये जायें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर दक्षिण) : श्रीमान् हर दस वर्ष के बाद हमें इस प्रकार का आयोग नियुक्त करने पर जो व्यय करना पड़ेगा मैं समझता हूं कि उसका निवारण किया जा सकता है, हमें अनुच्छेद ८१ का उचित संशोधन करना चाहिये तथा इस कठिनाई को दूर करना चाहिये।

जहां तक प्रस्थापित आयोग में सेवा-निवृत जजों को नियुक्त करने का सम्बन्ध है, मैं इसके विरुद्ध हूं। कारण यह कि मैं न्यायपालिका को किसी के प्रभाव में नहीं देखना चाहता हूं जब किसी जज को भविष्य में सरकार से कुछ प्रलोभन अथवा पुरस्कार मिलने की आशा होगी तो उसके निर्णय शायद निष्पक्ष नहीं होंगे। इसके अलावा यदि आप सेवानिवृत्त जजों को इस आयोग में नियुक्त करेंगे तो आपको उन्हें वेतन देना पड़ेगा, यह आप बचा सकते हैं यदि आप केवल उन्हीं जजों को नियुक्त करेंगे जो उच्च न्यायालयों में पहले ही काम करते हों, मेरा एक सुझाव यह भी है कि यह सारा काम चुनाव कमीशन को सौंपा जाये। जहां तक हमें मालूम है चुनाव कमीशन के सम्बन्ध में अभी तक किसी को कोई शिकायत नहीं। अलग कमीशन नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है?

विरोधी दलों से सम्बन्ध रखने वाले सदस्यों ने आशंका प्रकट की है कि कहीं इस कमीशन के दरवाज़े उन पर बन्द न किये जायें। इस आशंका के समाधान के लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस कमीशन में केवल उन्हीं सदस्यों को लिया जाये जो विरोधी दलों से सम्बन्ध रखते हों। आखिर उन्हें वहां करना क्या है? मत देने का कोई अधिकार नहीं, वह केवल अपनी राय दे सकते हैं जिससे आयोग फायदा उठाये अथवा न उठाए।

श्री आल्तेंकर (उत्तर सतारा) : श्रीमान्, मुझे इस विधेयक के खंड ९ के सम्बन्ध में कुछ कहना है। इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव कमिश्नर को कमीशन के भंग होने पर इसके आदेशों में भूल चूक अथवा गलतियों को ठीक करने का अधिकार होगा, इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये कि वह केवल ऐसी गलती को ठीक कर सकेगा। जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा १५२ के संगत हो तथा जो लिखने की गलती अथवा कोई आकस्मिक भूल चूक हो। परन्तु जहां कहीं यह गलती व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अन्तर्गत आती हो, अर्थात् यह अधिक महत्व की हो तथा किसी न्यायालय की मूल शक्तियों से सम्बन्ध रखती हो, वहां मुख्य चुनाव कमिश्नर को इसमें फेर बदल करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। यदि कभी ऐसी कोई आकस्मिकता उत्पन्न हो जाये तो आयोग को गलती पर पुनः विचार करने के लिये फिर बुलाया जाना चाहिये। तथा यदि दुर्भाग्यवश उस आयोग के किसी सदस्य का देहावसान हुआ होगा, तो उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिये जिसकी प्रतिभा पहले सदस्य से कुछ कम न हो।

जहां तक आयोग के लिये विनियुक्त सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने का सम्बन्

[श्री आल्तेकर]

है, यह अधिकार अध्यक्ष को ही प्राप्त होना चाहिये, आयोग को नहीं। हां, विरोधी दलों को इसमें अवश्य ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये।

निर्वाचन क्षेत्र इस तरह से निश्चित किये जाने चाहियें कि सभी पार्श्ववर्ती क्षेत्र एक ही निर्वाचन क्षेत्र में आ जायें। बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र केवल उन्हीं क्षेत्रों में रखे जाने चाहियें जहां जनसंख्या का घनत्व हो, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, यथासम्भव एक सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र रखे जाने चाहियें। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की संख्या पर्याप्त हो परन्तु समान्यतया जनसंख्या कम हो वह पूर्णतः अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित रखे जाने चाहियें।

परिसीमन कार्य के लिये १९५१ की जनगणना के आंकड़े निर्णायक होने चाहियें। उसी के आधार पर परिसीमन का कार्य होना चाहिये तथा स्थान आवंटित किये जाने चाहियें। जनसंख्या में वृद्धि के कारण राज्यों में अधिक सीटें प्राप्त करने के लिये प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिये। जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को अधिक बढ़ने नहीं दिया उन्हें कठिनाई में नहीं डाला जाना चाहिये।

श्री पुन्नुस (आल्लप्पी): श्रीमान् हमें इस विधेयक के सम्बन्ध में अत्यन्त ही सावधानी से काम करना होगा, यदि आज हम कोई गलती करेंगे तो इसका हमारे लोकतन्त्र पर अवश्य ही बुरा प्रभाव पड़ेगा जिसके लिये कि हमें बाद में पछताना होगा। हमें मालूम हो कि देश में दलबन्दी कैसे ज़ोर पकड़ रही है, दक्षिण भारत में हाल ही में जो नगर चुनाव हुये हैं उनके सम्बन्ध में सत्ताधारी दल के विरुद्ध क्या क्या शिकायतें की गई हैं, यह भी हमें मालूम है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि इस विधेयक में ऐसे उपबन्ध रखे जाने चाहियें जिनसे जनता में विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाये।

इस विधेयक में विधान सभाओं के अध्यक्षों को परिसीमन आयोग के लिये विनियुक्त सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि यह अधिकार अध्यक्षों को प्राप्त न होकर स्वयं इन विधान सभाओं को प्राप्त होना चाहिये। विधान सभाओं के सदस्य एकत्र संक्रमणीय मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि इस आयोग में भेज सकते हैं।

फिर यह समझ नहीं आता कि इन विनियुक्त सदस्यों को मत देने का अधिकार क्यों नहीं होगा। यदि उन्हें मत देने का अधिकार भी न हो, तो कम से कम उन्हें अपने विमति पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिये।

जहां तक विधेयक के खंड ५ का सम्बन्ध है इनमें विनियुक्त सदस्यों की कम से कम संख्या २ तथा अधिक से अधिक संख्या ४ रखी गई है। विभिन्न पार्टियों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टि म रखते हुये मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है तथा इन्हें बढ़ा कर क्रमशः ५ तथा १० किया जाना चाहिये।

इसके पश्चात सदन की बैठक, मध्यान्ह भोजन के लिए ढ़ाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात सदन की बैठक, ढाई बज पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे)

श्री पुन्नूस: श्रीमान्, जहां कमीशन को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना देने के लिये निमन्त्रण दे सकता है वहां उसका

यह भी कर्तव्य होना चाहिये था कि वह जन-पुरुषों तथा संस्थाओं को अपनी राय देने के लिये आमन्त्रित करे तथा इस तरह से जनता की भावनाओं को जान ले, इस तरह से जनता भी महसूस करेगी कि उनसे राय ली गई है, दूसरे मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्याओं में एक लाख से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये।

जहां तक खंड ८ का सम्बन्ध है, हमारी राय में इस आयोग को खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती है। विधि बनने से पूर्व इसकी सिफारिशें अथवा उपपत्तियां इस सदन में पेश होनी चाहियें। इतना ही नहीं इसकी कार्यवाही की रिपोर्टें भी सदन के सामने आनी चाहियें। यह न केवल हितकर है अपितु आवश्यक भी है।

मुझे आशा है कि प्रवर समिति जल्दबाज़ी से काम न लेकर अत्यन्त ही सावधानी से इस पर विचार करेगी तथा इसका सुधार करेगी।

इन शब्दों के साथ श्रीमान्, में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा और राज्य की विधान सभा के मेम्बरों के चुनाव के लिये निर्वाचित क्षेत्र बनाने के लिये जो एक कमीशन बनने वाला है उसके बिल के सम्बन्ध में विचार करते हुए सब से ज़रूरी बात मैं समझता हूं यह है कि निर्वाचन क्षेत्र बनाने का काम एक ऐसी संस्था को सौंपा जाये जिस पर किसी संस्था का या पार्लियामेंट का भी अधिकार न हो। बहुत से सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि इस कमीशन का काम सिर्फ़ यह हो कि वह निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करे, और सारी चीज़ों को फिर इस सभा के सामने रखा जाये और सभा को इस बात का अधिकार हो कि उसमें जो परिवर्तन करना चाहे वह कर दे। मैं समझता हूं कि यह बात प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्त के खिलाफ है। यह सही है कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं इसलिये हम को इस बात का अधिकार है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिये हमें किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से काम नहीं लेना चाहिये। मैं यह नहीं मानता कि संसद् के सदस्य जब इस बात का निर्णय करेंगे तो वह किसी पार्टी विशेष की भावना से प्रेरित होकर करेंगे, लेकिन फिर भी इस बात का पूरा खतरा इसमें रहता है कि जिस पार्टी का संसद् में बहुमत रहेगा वह पार्टी निर्वाचन क्षेत्र बनाने का निर्णय करने में बहुमत से प्रेरित हो सकती है। इसलिये सरकार ने यह बिल उपस्थित किया है कि एक कमीशन बनाया जाय जिस को इस के सम्बन्ध में अन्तिम अधिकार दिया जाय। सारी बातों की जानकारी हासिल करने के बाद, व्यक्ति और संस्थाओं के विचार सुनने के बाद जो निर्वाचन क्षेत्र बनाये जायें वह अन्तिम हों। उनको संसद् के सामने फिर पेश करने की ज़रूरत न हो।

इसके पीछे मेरा यह भी ख्याल है कि सारे प्रजातन्त्र की बुनियाद इस बात पर है कि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का ठीक ठीक मौक़ा दिया जाय। पिछली संसद् में मैंने देखा था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वह अपनी आज्ञा जारी कर के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ सलाह देने वाली समितियां जगह जगह बनाई गयी थीं और इलैक्शन कमिश्नर को यह अधिकार था कि उसके सम्बन्ध में वह सलाहकार कमेटी से राय क़ायम करके तब राष्ट्रपति के सामने अपने सुझावों को रखें। उस सम्बन्ध में जो दृश्य संसद् में देखने में आया

[श्री एस० एन० दास]

था मैं समझता हूं कि भविष्य के लिये हिन्दुस्तान के लिये यह अच्छा नहीं होगा कि संसद् में उन निर्णयों पर फिर विचार किया जाय जो कमीशन अपनी सारी जांच पड़ताल के बाद तय करेगी। मेरा ख्याल है कि ऐसा करने से प्रजातन्त्र की जो भावना है उसको ज़रूर चोट पहुंचती है। निर्वाचन क्षेत्र बनाने का काम एक तरह से न्याय का काम है। जनता की सुविधा, भौगोलिक सुविधा और शासन की सुविधा को देखते हुए यदि अन्तिम निर्णय करने का अधिकार संसद् के सदस्यों को रहेगा तो उस में पार्टी का असर पड़ सकता है। न मालूम क्यों इस बिल के सम्बन्ध में विचार करते हुए इस सभा में विरोधी पक्ष के जो लोग हैं वह इस बात के लिये जोर दे रहे हैं कि कमीशन का जो अपना ड्राफ्ट हो वह संसद् के सामने फिर से विचारार्थ रखा जाये। मैं इस का पूरा विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि इसका अन्तिम निर्णय करने का अधिकार कमीशन को ही रहना चाहिये जिसको हम इस बिल के ज़रिये से बनाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से हमारे माननीय मंत्री ने जो इस बिल को पेश किया है मैं समझता हूं कि सबसे बुनियादी बात इसमें यही है कि संसद् के हाथ में सिर्फ क़ानून के ज़रिये एक संस्था को बना देने का ही काम रहे। उस संस्था के काम में दस्तन्दाजी करने का या उसके निर्णयों पर फिर से विचार करने का अधिकार संसद् को नहीं होना चाहिये। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि सिलैक्ट कमेटी इस को ध्यान में रखे कि सारे हिन्दुस्तान के लिये एक ही कमीशन बनाना कुछ उचित या अच्छा नहीं है। यह हिन्दुस्तान हमारा इतना बड़ा देश है, इस में विभिन्न तरह की परिस्थितियां हैं। यहां भौगोलिक परिस्थितियां भी विचित्र हैं और प्राकृतिक परिस्थितियां भी विचित्र हैं। तो अच्छा तो यह होता कि सारे हिन्दुस्तान को कई हिस्सों में बांट दिया जाता और हर एक हिस्सा के लिये अलग अलग कमीशन होता और उस में जो चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर हैं वह हर कमीशन में रहते ताकि विभिन्न भागों में जाते हुए हर जगह एक ही सिद्धान्त के मुताबिक एक ही तरीक़े से यूनीफ़ार्मिटी (समानरूपता) लाई जा सकती। इस लिये मेरा यह सुझाव है कि एक ही कमीशन बिठाने के बजाय हिन्दुस्तान में कई कमीशन होने चाहियें क्योंकि जनता के विचारों को सुनने का, संस्थाओं के विचारों को सुनने का और व्यक्तियों के विचारों को सुनने का तथा विभिन्न भागों में जा कर वहां की भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थिति को देखने का मौक़ा एक ही कमीशन को पूरे तौर पर नहीं मिल सकता। इसलिये मेरा ख्याल है कि इसके लिये रीजिनल कमीशनों का निर्माण होना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि इस बिल में इस कमीशन के अधिकार का क्लाज ४ में वर्णन किया गया है किन्तु उसमें जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में उसको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जब जम्मू और काश्मीर को संसद् के लिये, पांच प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है और जम्मू और काश्मीर हमारे हिन्दुस्तान में शामिल हैं, यह सही है कि वह सिर्फ तीन बातों में ही हमारे साथ शामिल हैं, फिर भी जब जम्मू और काश्मीर को हमारी संसद् में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है तो जनता के चने हुए प्रतिनिधि संसद् में आयें तो अच्छा है। अभी वहां की विधान सभा की राय से जो लोग नामज़द किये जाते हैं हमारे

राष्ट्रपति उन को यहां नामज़द कर देते हैं और वह यहां आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि काश्मीर के जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनने का अधिकार वहां की जनता को मिलना चाहिये और जिस तरह से निर्वाचन क्षेत्र बनाने का अधिकार सारे देश के लिये इस कमीशन को दिया जा रहा है उसी तरह से काश्मीर के जो पांच प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको निर्वाचन क्षेत्र के बनाने का हक़ भी इस कमीशन को मिलना चाहिये।

मेरा एक सुझाव यह है कि जब यह कमीशन अपना काम पूरा कर चुके और किसी निर्णय पर पहुंच जाये तो वह अपने सारे प्रस्ताव को गजट में प्रकाशित करे और देश के लोगों को, संस्थाओं को, पार्टियों को मौका दिया जाय कि उसके सम्बन्ध में उनके क्या ख्याल हैं यह कमीशन को वह एक निश्चित अवधि के अन्दर, एक निश्चित तारीख के अन्दर भेज सकें। उन सब सुझावों पर वह कमीशन फिर से विचार करे और तब अन्तिम निर्णय करके अपना अन्तिम फैसला दे कि हिन्दुस्तान में चुनाव के लिये ये निर्वाचन क्षेत्र क़ायम हो गये हैं। इस तरह हर संस्था को मौक़ा मिलेगा कि जो ड्राफ्ट कमीशन तैयार करेगा उसमें क्या गलतियां हैं वह बतला सके, क्योंकि जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं उसकी जानकारी जितनी उन को होती है उतनी कमीशन को नहीं रह सकती। इसलिये ऐसा मौक़ा संस्थाओं को, लोगों को और पार्टियों को मिलना चाहिये कि कमीशन का जो ड्राफ़्ट हो उस पर वह अपने सुझाव दे सकें और कमीशन सारी बातों पर फिर जांच करके तब अपने अन्तिम निर्णय पर पहुंचे।

एक बात इस बिल में यह कही गई है कि जब निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया जाय तो भौगोलिक स्थिति का ख्याल रखा जाय और प्राकृतिक स्थिति का भी ख्याल रखा जाये। मेरा ख्याल है कि उसके साथ साथ एक बात यह भी ज़रूरी है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन शासन की सुविधा का भी ख्याल रखा जाये। केवल भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का विचार करते हुए एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बन सकता है कि जो व्यावहारिक दृष्टि से अच्छा न हो, काम करने की दृष्टि से और उम्मीदवारों की दृष्टि से और सरकार की दृष्टि से भी अच्छा न हो। इसलिये जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन कंवीनियन्स (प्रशासन की सुविधा) का सवाल है, शासन की सुविधा का सवाल है, उसका भी विचार किया जाना चाहिये। इस तरह भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक स्थिति और शासन सम्बन्धी स्थिति का भी पूरा ख्याल करके यह कमीशन अपना निर्णय करे। हमारे अनुभव में यह आया है कि भौगोलिक दृष्टि से जो निर्वाचन क्षेत्र चुने जाते हैं वह शासन की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं होते हैं। न उनमें सरकार सुविधाजनक काम कर सकती है और न उम्मीदवार ही ठीक से काम कर सकते हैं। इसलिये इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिये।

एक बात जिसके विषय में मैं सुझाव देना चाहता हूं और जिस के बारे में दूसरे सदस्यों ने भी ज़िक्र किया है यह है कि इस आयोग को सहायता देने के लिये लोक सभा की तरफ़ से और विधान सभा की तरफ़ से जो सलाहकार चुने जायेंगे उनके लिये यह व्यवस्था है कि विधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे वह उनका चुनाव करेंगे। मेरा ख्याल है कि यह उचित नहीं है। जो सलाहकार संसद् की तरफ़ से दिये जायें उनका चुनाव यहां के जो अध्यक्ष हैं वह करें और जो सलाहकार विधान सभा की तरफ से दिये जायें उनका चुनाव करने का अधिकार वहां के अध्यक्ष को रहना चाहिये।

[श्री एम० एन० दास]

यही बातें थीं जिन का मैं ज़िक्र करना चाहता था। अन्त में मैं इस बात पर फिर ज़ोर देना चाहता हूं वह यह कि जैसा कि कुछ सदस्य चाहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र के निर्माण के सम्बन्ध में जो अंतिम विचार इलैक्शन कमीशन करे वह संसद् के सामने आयें, यह नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसका निर्णय करने के लिये एक स्वतन्त्र संस्था क़ायम हो जाय और संसद् उसमें अपना कोई हाथ न रखे।

पडित अलगू राय शास्त्री (ज़िला आजमगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया – पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्वाचन क्षेत्र निर्माण आयोजन विधेयक जो उपस्थित हुआ है, मैं उस के इस रूप का समर्थक हूं। यह दूसरी बात है कि जो संस्था एसोसियेट सदस्यों की कमीशन के साथ रक्खी गयी है, उसमें कुछ वृद्धि की जा सकती है कुछ थोड़ी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। इतनी बात तो मैं सुझा सकता हूं किन्तु सामान्यतः मैं इसका समर्थक हूं, पूरी तौर पर। इनकी आवश्यकता इसीलिये पड़ी कि हमारे संविधान में यह बतलाया गया है कि जब जनसंख्या जांच ली जाय और यह मालूम हो जाय कि वह बढ़ गयी है, तो इस की आवश्यकता है कि फिर से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण हो। इस अनिवार्य कारण से यह बात सामने आयी है और बहुत सोच समझ कर इस विधेयक का रूप तैयार किया गया है। इस दृष्टि से मैं इस पर कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं समझता था, परन्तु अभी श्रीमती सुचेता कृपलानी ने जिस प्रकार इस बात पर आक्षेप किया कि स्पीकर्स को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह सदस्यों को मनोनीत करें और उसके लिये जो तर्क उन्होंने दिया, उससे मुझे क्लेश हुआ और मैंने समझा कि उसके प्रतिवाद के रूप में मुझे कुछ कहना ही चाहिये।

स्पीकर चाहे वह किसी भी विधान सभा का हो या यहां पर हमारे इस संसद् का हो, यह स्पष्ट है कि उसका चुनाव होना तो सर्वसम्मति से चाहिये, लेकिन अगर विरोधी दल के कुछ आदमी केवल विरोध की दृष्टि से ही विरोध करें और स्पीकर बहुमत से चुन लिया जाय, तो इस लम्बे पांच साल के जीवन में जो इस संसद् की आयु है, उसमें सदा स्पीकर को संदेह की दृष्टि से देखा जाये कि वह एक पार्टी का व्यक्ति है, मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण अगर हम अपनायेंगे तो वह हमारे सारे वधानिक जीवन को संकटमय, निराशाजनक और आपदग्रस्त बना देता है। श्रीमती सुचेता इस समय यहां पर नहीं हैं, वह और मैं उत्तरप्रदेशीय विधान सभा में एक साथ सदस्य थे और उस समय विधान सभा के माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष थे। उन्होंने स्पीकर रहते हुए कभी कांग्रेस दल से अपना सम्बन्ध नहीं तोड़ा था। उन्होंने भवन में उच्च स्वर से कहा था कि मैं अपने दल का सदस्य बना रहूंगा। यहां जो अंग्रेजी तरीके का जिक्र किया गया कि स्पीकर को दल का सदस्य नहीं होना चाहिये, कितने दूसरे राज्य ऐसे हैं जहां पर स्पीकर दल का सदस्य होता है, मैं उसी परिपाटी को मानना चाहता हूं और उस अंग्रेज़ी लकीर का फकीर मैं नहीं हूं। तो जो लोग केवल अंग्रेजी लकीर के ही फ़क़ीर हैं, उनके सामने यह आदर्श हो सकता है, किन्तु मेरी समझ में तो स्पीकर किसी दल का सदस्य रहते हुए भी तटस्थ रह सकता है, न्याय कर सकता है और यह मंच जिस प्रकार काठ का बना हुआ है और वह किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर सकता, उसी प्रकार स्पीकर दल का सदस्य रहते हुए भी अपक्षपाती रह कर अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकता है और इसका सुन्दर परिचय माननीय बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने उत्तर प्रदेश

की विधान सभा का अध्यक्ष रह कर दिया है। उन्होंने कहा था कि यद्यपि मैं दल का सदस्य हूं, किन्तु विरोधी दल का एक व्यक्ति अगर उठ कर कह दे कि मैंने पक्षपात से काम लिया है, तो मैं बहुमत वाले दल की शक्ति पर स्पीकर नहीं बना रहूंगा और मैं अपने अध्यक्ष के पद को छोड़ दूंगा और उन्होंने जितने समय तक अध्यक्ष का काम किया, विरोधी दल के एक व्यक्ति ने भी किसी एक अवसर पर यह नहीं कहा कि उन्होंने पक्षपात से काम किया। स्पीकर का इस भवन में जो महत्व है उस महत्व को सामने रखते हुए इस प्रकार की बात कहना कि उनके द्वारा सदस्यों को चुनने में कुछ पक्षपात की सम्भावना, होगी, विशेषकर जब श्री विट्ठल भाई पटेल के बाद लोगों ने इस तरह की घोषणा नहीं की कि हम दल के सदस्य नहीं रह जायेंगे। इस कारण हम आज स्पीकर के हाथ से यह अधिकार निकाल कर कमीशन को देने के पक्ष में हैं, कमीशन के प्रति जो अटूट विश्वास इस समय यहां दिखाई पड़ता है, म अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि वह विश्वास कहां चला गया था जब उसके द्वारा देश में चुनाव कराये गये थे ? तब तो शोर मचाते थे कि चुनाव में बक्सा टूटा,यह टूटा वह टूटा और कमीशन पर विरोधी दल वालों द्वारा तरह तरह के आक्षेप किये गये थे कि उसने पक्षपात से काम लिया। विरोधी दल वालों का यह ख्याल कि वह बिल्कुल न्यायसंगत सारे काम करते हैं और बहुमत वाला दल जिस के हाथमें शासन की बाग डोर होती है उसके आदमी पक्षपात करते हैं, इस प्रकार की भावनाओं को ले कर जो बातें कही जाती हैं उससे कटुत भी पैदा होती है और काम भी नहीं बनता है। विश्वास से ही विश्वास पैदा होता है। स्पीकर से ज्यादा उपयोगी व्यक्ति कौन होगा कि जो सदस्यों को उतनी अच्छी तरह से जानता हो, वह अच्छी तरह समझ सकता कि कौन सदस्य उस कार्य के लिये उपयुक्त होगा। स्पीकर का सदस्यों के साथ दैनिक सम्पर्क रहता है, लेकिन कमीशन को जिसके लिये हमारे उधर के कुछ भाइयों ने सिफारिश की है, उसको क्या पता है कि विधान सभाओं में काम करने वाले कौन लोग हैं और कौन उस काम के लिये उपयुक्त हो सकते हैं इसलिये मेरी समझ में स्पीकर के द्वारा निर्वाचन की जो बात है, उसमें कोई दोष ही नहीं है, अपितु वह बिल्कुल न्यायसंगत है। अब आप यह भी कह सकते हैं कि यहां अनुपात से चुनाव करा दें तो वैसा करके तो यहां पर एक अखाड़ा स्थापित कर देना है। अगर यह बहुमत दल जो कि शासन चला रहा है और जिसका मन्त्रिमण्डल है, विरोधी पक्ष वाले अगर उसका फैसला लेकर कमीशन के सामने बहस करना चाहते हैं और कमीशन में अपनी संख्या के अनुपात से बैठना चाहते हैं, तब तो वह न्यायालय न रह कर अखाड़ा बन जाता है। इस तरह भला कैसे काम चल सकता है। कल को आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेकर कमीशन के सामने यह निश्चित करना चाहेंगे कि यह जो सजा दी गई है, यह तो बिल्कुल दलगत भावना और पक्षपात से दी गई है और उसके बारे में अन्तिम फैसला यहां होना चाहिये, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि अभी मेरे मित्र दास जी ने जो कहा, वह बिल्कुल ठीक है, बहुमत दल की जो गवर्नमेंट है वह विहप (सचेतक) के ज़रिये आपके कमीशन के सारे फैसलों को मात कर सकती है। कमीशन के सामने बैठ कर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्मिाण में यदि आप संख्या के अनुपात के भरोसे काम लेना चाहते हैं, तो आप बहुमत दल के हाथ में वह अस्त्र देने जा रहे हैं जो वह स्वेच्छा से अपने हाथ से फेंकना चाहता है। बहुमत चाहता है कि भली प्रकार काम हो। हम नहीं चाहते कि क्योंकि हमारा बहुमत है, इसलिये हम अपने बहुमत के बल पर निर्वाचन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

क्षेत्र का निर्माण ऐसा करा लें जो हम बहुमत दल वालों के लिये उपयोगी हो।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]।

अभी एक जज साहब ने उसकी तरफ़ इशारा किया कि ऐसा होना सम्भव है, मेरी समझ में उन्होंने कोई नयी चीज़ नहीं बतलाई । मनुष्य की स्वार्थ बुद्धि कोई नयी बात नहीं है और उन जज साहब ने कोई बहुत भारी बात नहीं कही। इस संसार में मनुष्य स्वार्थी जीव है और वह सदा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को देखता है। यह बात ही भाग्य और सन्तोष की बात है कि बहुमत दल अपनी स्वेच्छा से अपने अधिकारों को समर्पित करता है और उस के सामने केवल राष्ट्र हित है, वर्ग हित और दल हित उसके सामने नहीं है । शासक दल के सामने, जो बहुमत में है, राष्ट्र हित और सर्व हित है और यही कारण है कि यह विधेयक जो उसके द्वारा सदन के सामने लाया गया है, वह न्याय पर अवलंबित है और सर्वथा मान्य है।

एक सुझाव यह भी दिया गया कि यह जो डबल मेम्बर कांस्टीटुएन्सीज़ (द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र) हैं, वह बहुत बड़ी हो जाती हैं और गरीब आदमी उनमें काम नहीं कर सकते। यह शब्द और यह वाक्य इस बात को मान कर कहते हैं कि हम एक स्वतन्त्र नागरिक हैं और एक स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में खड़े हो जायेंगे। लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि चुनाव में स्वतन्त्र व्यक्तियों के लिये कोई स्थान नहीं है । चुनाव के संसार में मनुष्य एक सामाजिक जन्तु है, यह ग्रुप में काम कर सकता है, यह समाज में काम करता है । यह दुर्भाग्यवश हमारा ही हतभागा देश है जहां पर व्यक्ति अपने बल पर खड़े हो जाते हैं, किन्तु दूसरे मुल्कों में आप स्वतन्त्र लोगों को चुने जाते कम देखते हैं। यहां हमारे देश में तो पुरानी परिपाटियों के कारणवश किन्हीं किन्हीं व्यक्ति विशेष का कुछ महत्व होता होगा, लेकिन यह जो चुनाव होते हैं, उनमें तो दलों द्वारा चुनाव लड़ा जाता है। अलग अलग दलों के प्रतिनिधि खड़े होते हैं और उन दलों की अपनी कुछ नीतियां और घोषणायें होती हैं, उन घोषणाओं को लेकर उन दलों के प्रतिनिधि जनता के सामने जाते हैं।

ऐसे दलों के लिये कोई निर्वाचन क्षेत्र वगैरह न हो। जहां जितना ही छोटा निर्वाचन क्षेत्र होगा, उतने ही छोटे स्वार्थों की अपील होगी। हमारा देश एक ऐसा हतभाग्य देश है जहां पर जातपांत, बिरादरी, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, हुक्का पानी की बात है, हुक्का पानी हमारा तुम्हारा एक और तुम उन को वोट दोगे ? नाई, धोबी, दर्ज़ी, गड़रिया, अहीर, कहार, मुराई, कूर्मी परसी, लोध, चमार, के नाम पर सारे काम हमारे यहां हुआ करते हैं। जिस मुल्क में इस प्रकार के सिद्धांत हों, जिस में इस प्रकार के आर्थिक हित हों, न कोई सामाजिक हित हो, न कोई राजनैतिक हित हो, जहां व्यक्तिगत हित हो, जहां जाति हित हो, उस देश में आप सीमित रखना चाहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र । इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती जितना बड़ा क्षेत्र होगा, उतनी बड़ी अपील काम कर सकती है कि हम यह करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं। हमारे यहां लोग कहते हैं कि "हम तुम्हारे बेटा का डिप्टी बनाय देव", हमारी पूर्वी कलोक्वियल (बोलचाल की) भाषा में कैसी सुन्दर अपील है। "हम का वोट देहौ तो हम तुहरे बेटा का डिप्टी बनवाउव" यह अपील है। म्युनिसिपैलिटी में

वही प्रतिनिधि जाते हैं जो लालटेन अपने वोटरों के यहां लगवा दें। नहर बनवाने का वायदा करें, करे या न करे लेकिन चुने जाने के लिये वादा यह होना चाहिये। अगर नन्हें नन्हें निर्वाचन क्षेत्र होंगे तो यह होगा कि अगर कहीं जाटों का बहुमत है तो जाट खड़ा किया जाय अगर खत्रियों का निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत है तो खत्री खड़ा किया और अगर ऐसा न किया जाय तो गड़बड़ी मचती है, आखिर कहां से जाट लावें, कहां से खत्री लावें। कहा जाता है कि इस देश में किसी निर्वाचन क्षेत्र में गरीब आदमी नहीं जीत सकेगा। न जीत सकेगा न जीते। गरीब आदमी के जीतने का क्या सवाल है जीतना चाहिये सिद्धान्त को, घोषणा पत्र को। हम ऐसे आदर्श को लेकर खड़े हों। जब यह भावना है तो मैं इस बात का पक्षपाती हूं कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट की बात सोच कर के डबल मेम्बर कांन्स्टिटुएन्सी बनाने की प्रथा रखी गई है तो वह भी नाकाफ़ी है। यह तो डबल मेम्बर कांन्स्टिटुएन्सी जैसी होनी ही चाहिये। निर्वाचन क्षेत्र.....

एक माननीय सदस्य : सारे देश की हो।

श्री **अलगू राय शास्त्री** : सब तो नहीं मगर आप तो मौजूद हैं। मैंने जाट शब्द का प्रयोग किया था, उसको वापस लेता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सारे भारतवर्ष का एक निर्वाचन क्षेत्र न हो, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों को कूपमंडुकता न प्रदान की जाय। उतना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र नहीं जितना बड़ा राष्ट्रपति का होता है, उसको तो सारा भारतवर्ष चुनता है, लेकिन हमें साधारण व्यक्तियों के चुनाव में भी कूपमंडूक न बना कर, मैं चाहता हूं कि अरब सागर के समान न सही, लेकिन एक लम्बी विस्तृत झील जैसा निर्वाचन क्षेत्र तो हो जिससे हम उसमें उछल कूद तो सकें तैर तो सकें। ऐसा न हो कि इधर जायें तो इधर टकरा जायें और उधर जायें तो उधर टकरा जायें। ऐसा न हो कि डुबकी लगाना चाहें तो तह से टकरा जायें। हमें झील में जमना होगा। जो निर्वाचन क्षेत्र पहले से रखे गये हैं उनमें पहले से ही काफ़ी उथलापन है। मैं सदा से इस बात का विरोधी रहा हूं कि निर्वाचन क्षेत्र को एक नन्हां सा क्षेत्र बनाया जाय। लोग कहते हैं कि प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिये जिसमें हर एक प्रतिनिधि थोड़े से आदमियों के सारे स्वार्थों को आसानी से कह सके। आदमियों के स्वार्थ क्या होते हैं यहां पर क्या डिस्कस (चर्चा) होता है ? कम्युनिटी प्रोजेक्टस् (सामुदायिक परियोजनाएं) हैं, औद्योगिक विकास है, उसमें व्यक्तिगतस्वार्थ कहां से आता है ? तो यह आवश्यक नहीं है कि हम निर्वाचन क्षेत्र को छोटा करें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति इस बात को बड़ी सावधानी से देखे कि ऐसे नन्हें नन्हें स्वार्थों की अपील वहां न होने पाये। निर्वाचन क्षेत्र जितना विषद हो सके उतना विषद होना चाहिये, और भी विषद किये जा सकते हों तो भी आपत्ति न हो।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि कमीशन का विषय डिबेट में लाया जाय। इस को डिबेट में लाने की मांग करना विरोधी दल के लिये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी राजनैतिक अनुभवहीनता का परिणाम हो सकता है क्योंकि वह अपने हक में दिये गये फैसले को यहां बहुमत से हटवाने के लिये उनको विवश करते हैं। तो बहरहाल आदमी को आत्महत्या करने का अधिकार तो है मगर जब तक पुलिस की नोटिस में वह आदमी है पुलिस उसको ऐसा नहीं करने

[श्री अलगू राय शास्त्री]

देगी। तो मैं तो चेतावनी देने वाला आदमी हूं लाइट हाउस (रोशनी का मीनार) की तरह कि इधर कहीं तुम्हारा जहाज टकरा न जाय। मैं कहे दे रहा हूं, फिर कोई यह न कहे कि खबर नहीं दी, कमीशन में अगर तीन आदमियों की तादाद हम मुक़र्रर करते हैं तो इस में भला तो विरोधी दल का ही है। सारी योजना बना कर अपने अधिकार को न्यायाधीशों के अधिकार में देना चाहते हैं।

इस बात से मैं भी सहमत हूं कि हमारे जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं उनको मुक्त आदमी मानना चाहिये। मुक्त आदमी का स्थान स्तुति स्थल पर है। उनका फिर से सर्विसेज में लाने की बात कहना ठीक नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि वह बिक सकते या भूल कर सकते हैं। मगर विश्वास एक ऐसी बड़ी चीज़ है कि अगर वह डिग जाय तो जो चमत्कार है, जो सौंदर्य है वह नष्ट हो जाता है। हम को जनता का विश्वास लेने के लिये यह समझ लेना चाहिये कि जिन की एक कलम में एक व्यक्ति को फांसी देने का अधिकार है, जो अधिकार, जैसा कि कुरानमजीद में लिखा हुआ है कि जिन्दगी और मौत की कुंजी अल्ला मियां ने अपने हाथ में रखी है, मगर इस ज़मीन के इन्सान ने इन्सान के हाथ में उस जिन्दगी और मौत की कुंजी दी, और वह जज के हाथ में दी। तब जिस जज के सामने हम श्रद्धा से सिर झुकाते हैं अगर उसके सम्बन्ध में बेईमानी की अथवा सन्देह की गुंजाइश हो कि इसमें उसके लिये प्रलोभन है, तो जो उसने जीवन भर नहीं किया उस पर वही लांछन लगाया जाना है। मैं कहूंगा कि जिसने सदा न्याय का साथ दिया है, जिनके विश्वास पर दुनिया निर्भर करती है जनता के विश्वास पर शासन निर्भर करता है, वही जनता जिस व्यक्ति पर विश्वास करती रही है उस पर कोई लांछन नहीं आना चाहिये। तो जजों के सम्बन्ध में यह जरूरी कहना था कि रिटायर्ड जजों का नाम आजकल आम तौर पर लिया जाने लगा है। इस देश की आबादी बढ़ गई, इस देश में शिक्षा बढ़ी, आज हमारे यहां आदमी की कमी नहीं है। बहुत से लोग बेकार हैं, उनके जीवन की सारी कामनायें नष्ट हो जाती हैं। पुराने आदमी बड़े काम के है, मैं मानता हूं, मगर पुराने अनुभवी लोगों को अपना जीवन सुख से बिताने देने के लिये, उनके चरित्र पर लांछन न लगने देने के लिये उनको दुबारा काम में लगाना अनावश्यक है।

इतना कहने के बाद मैं यह समझता हूं कि यह जो विधेयक है उसको इस दृष्टि से इसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये। लेकिन अगर ऐसोशियेट मेम्बर्स की संख्या कुछ बढ़ाई जा सकती हो तो बहुत ठीक है। मेम्बर ऐसोशिएट रहना चाहिये, उनको पूरे मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिये। वह केवल जजों की वाकफ़ियत के लिये अपनी राय गोशगुजार कर दें। मुकाम इसलिये बतायें कि उनकी राय नकशे के आधार पर, जानकारी के आधार पर ठीक होगी। लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहिये। जो कागज़ाती गवाही और बहस हो सकती है उसके निकट रह कर और ज्यादा जानकारी कराने का काम वह कर सकते हैं। लेकिन जजों के ख्याल को अनुचित तरीके से प्रभावित करने और वोट देने का अधिकार उनको नहीं होना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो निर्णय हो वह तो कमीशन का हो, मगर हमारा सारा काम, सारी हकूमत प्रेजिडेन्ट के नाम में चलती है। जो कमीशन का आर्डर हो वह

प्रेज़िडेन्शल आर्डर के नाम से चालू होना चाहिये। कमीशन का फैसला हो, कमीशन जानकारी हासिल करता है, रिकमेन्डेशन (सिफारिश) करता है इसलिये उसकी फ़ाइन्डिंग (उपपत्ति) हो, मगर "इन दि नेम आफ़ दि प्रेज़िडेन्ट" (राष्ट्रपति के नाम पर) होना यह चाहिये कि जो राष्ट्रपति हमारे देश का प्रतीक है, हमारे सारे शासन की जो प्रतिमा है, देवता के समान जो मूर्ति है उसकी तरफ़ से यह चीज़ हमारे सामने आनी चाहिये ताकि सब लोग श्रद्धा के साथ नत मस्तक होकर उसको स्वीकार करें और अपने निर्वाचन क्षेत्र से जनता का प्रतिनिधित्व होने का सौभाग्य प्राप्त करने की चेष्टा करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधयक का समर्थन करता हूं।

संसद कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वाद विवाद अब समाप्त किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वाद विवाद अब समाप्त किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने चर्चाधीन विधेयक को प्रस्थापित प्रवर समिति के हाथ सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया]

भारतीय एकस्व तथा रूपांकन (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय एकस्व तथा रूपांकन अधिनियम १९११ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमान्, इस विधेयक पर बड़ी हद तक वाद प्रतिवाद नहीं हो सकता है इसलिये मैं भी इस समय कोई लम्बा चौड़ा भाषण देकर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। इसके उद्देश्य तथा कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं तथा मैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देने पर ही सन्तोष करूंगा।

श्रीमान्, एकस्व विधि १९५० में संशोधन के लिये प्रस्तुत की गई थी, उस समय से सरकार का विचार रहा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिये। हमने डा० बख्शी टेकचन्द की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसने कि अपनी अन्तरिम रिपोर्ट १९५० में पेश की तथा उसकी सिफारिशों के अनुसार हमने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसने कि १९५० में एक विधि का रूप धारण किया। उस समय उन्होंने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि खाद्य, दवाइयों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में हमारी नीति क्या होनी चाहिये। उस समय उनका यह विचार था कि हमें इस सम्बन्ध में कोई विधान बनाने की आवश्यकता नहीं। श्रीमान्, हमारे इस कानून में जितने भी फेर बदल हुये, उनमें हमारी राष्ट्रीय अपेक्षाओं को कभी दृष्टिगत नहीं रखा गया। हमारे एकस्व कानून के अन्तर्गत सापेक्षयः, अधिक विदेशियों को यह एकस्व दिये गये हैं तथा हमने विचार किया कि जिन वस्तुओं को खाद्य अथवा दवाइयों के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है उनके सम्बन्ध में हमारे देशवासियों को सुगमता से आविष्कार उपलब्ध कराने के लिये ऐसा संशोधन आवश्यक है। अन्य देशों में इन राष्ट्रीय हितों की रक्षा की गई है। उदाहरण के रूप में जापान तथा जर्मनी में इन वस्तुओं को अर्थात् खाद्य, दवाइयों आदि को एकस्व कानून के क्षेत्र से बिल्कुल अलग रखा गया है। यह बात स्पष्ट है कि किसी एकस्व कानून का मुख्य उद्देश्य किसी आविष्कर्ता को उसके आविष्कार का फल देना है, परन्तु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति अपने आविष्कार

[श्री करमरकर]

का पूर्णतया विकास कर सके तथा इसके साथ ही अपने इस अधिकार को जनहित के विरुद्ध प्रयोग में न ला सके। वर्तमान विषय वस्तु के सम्बन्ध में, उदाहरण के रूप में, संयुक्त राजतंत्र (ब्रिटेन) का कानून पर्याप्त है, वहां यह विषय एकस्व अधिनियम १९४९ की धारा ४१ के अन्तर्गत आ जाता है। इसमें कहा गया है कि जहां ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में एकस्व लागू हो जो (१) खाद्य अथवा दवाइयों के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती हों अथवा जिन्हें खाद्य अथवा दवाइयों के उत्पादन में प्रयोग में लाया जा सकता है अथवा, (२) जो उक्त पदार्थ अथवा पदार्थों के उत्पादन में सहायक हों अथवा (३) कोई भी ऐसा आविष्कार जिसे शल्यक्रिया अथवा प्रतीकारात्मक उपायों में प्रयोग में लाया जा सकता है वहां कंट्रोलर एकस्व के अन्तर्गत उचित शर्तों पर लाइसेंस दे सकता है जब तक कि उस प्रार्थना-पत्र को रद्द करने के लिये कोई पर्याप्त कारण न हो, इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी लाइसेंसों के निबन्धनों को निश्चित करते समय नियन्त्रक इस बात की कोशिश करेगा कि यह खाद्य, दवाइयां तथा शल्यक्रिया और प्रतीकार से सम्बन्धित साधन जनता को यथासम्भव न्यूनतम मूल्यों पर उपलब्ध हों किन्तु इसके साथ ही आविष्कारकर्ता को अपने एकस्व अधिकार से उचित लाभ प्राप्त हो। तथा इस तरह से दी गई लाइसेंस के अन्तर्गत आविष्कारकर्ता के सामान्य अधिकारों को घटा कर उस आविष्कार को प्रयोग में लाया जा सकता है।

श्रीमान् एकस्व जांच समिति में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि जनता को न्यूनतम मूल्यों पर खाद्य, दवाइयां तथा शल्यक्रिया तथा प्रतीकार सम्बन्धी अन्य साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारे वर्तमान कानून में उपयुक्त संशोधन होना चाहिये जिससे कि इस क्षेत्र में किसी भी आविष्कार के लिये 'अनिवार्य' लाइसेंस दिये जा सकें। इस प्रश्न पर विचार करने के पश्चात् हमारी एकस्व जांच समिति की राय यह थी कि उस समय देश में परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि भारतीय एकस्व अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध रखना उचित होता, परन्तु श्रीमान्, १९५० में भारतीय पेनिसिलिन समिति ने सरकार से प्रार्थना की कि इस कानून का ब्रिटेन के एकस्व अधिनियम १९४९ की धारा ४१ के अनुसार संशोधन किया जाये। उस समय से सरकार इस स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करती रही है।

श्रीमान्, इस संशोधन के विषय वस्तु के सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह रही है। एकस्व तथा रूपांकन नियन्त्रण को एकस्व के सम्बन्ध में लाइसेंस देने का जो अधिकार है वह बहुत सीमित है। ऐसे अधिकार को कुछ विशिष्ट शर्तों के अन्तर्गत ही प्रयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक शर्त यह है कि एकस्व को मुहरबन्द करने के समय से तीन वर्ष बाद लाइसेंस के लिये प्रार्थनापत्र दे सकता है। मैं दूसरी शर्तों का यहां उल्लेख नहीं करूंगा, वह भारतीय एकस्व तथा रूपांकन अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (२) में आपको मिलेंगी। श्रीमान्, यह बात मानी जायगी कि खाद्य, दवाइयों आदि के सम्बन्ध में इन शर्तों पर आग्रह करना देशहित के अनुकूल नहीं होगा, इसलिये इस विधेयक का उद्देश्य इस कानून में उचित रूप से संशोधन करना है, खंड २ के अन्तर्गत एकस्व तथा रूपांकन नियन्त्रक स्वविवेक से खाद्य, दवाइयां आदि जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में कर्मवाहक लाइसेंस जारी कर सकेगा, निबन्धन का निश्चय करते समय नियन्त्रक इस बात को ध्यान में रखेगा कि आविष्कारकर्ता को भी फायदा हो तथा जनता को भी वह वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हों, ३ से लेकर ५ तक के खंड आनुषांगिक संशोधन हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

> "भारतीय एकस्व तथा रूपांकन अधिनियम १९११ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : श्रीमान्, जहां मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं वहां मुझे यह भी निवेदन करना है कि बख्शी टेकचन्द की अध्यक्षता में जो एकस्व जांच समिति नियुक्त की गई थी उसकी सिपारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में कई अत्यन्त ही महत्वपूर्ण समस्याओं, जैसे कि माल के विस्तृत वर्णन की ठीक जांच, एकस्व अधिनियम के प्रवर्त्तन के लिये सलाहकार समिति की नियुक्ति, भारतीय एकस्वों के लिये प्रकाशन, आय-कर उपबन्ध, अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय आदि आदि के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण सिपारिशें की हैं। परन्तु हमें मालूम नहीं कि क्या सरकार ने इस पर विचार भी किया है।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि मन्त्रालय इस पर विचार कर रहा है तथा इस सम्बन्ध में संशोधन विधान प्रस्तुत करने का विचार रखता है। आशा है कि इसे सत्र की समाप्ति से पहले ही प्रस्तुत किया जायगा।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : श्रीमान्, इस विधेयक से हमारी निराशा ही बढ़ती जाती है, कारण यह कि यह विधेयक टेकचन्द समिति की प्रारम्भिक रिपोर्ट तथा पूर्ण रिपोर्ट के बाद सदन के सामने आया है, माननीय मन्त्री ने बताया कि सरकार इन रिपोर्टों पर विचार कर रही है। हमें मालूम नहीं कि वह कब तक इन पर विचार करती रहेगी। जहां तक हम देख पाते हैं पूर्ण रिपोर्ट पर ३० अप्रैल, १९५० को हस्ताक्षर किये गये हैं, लेकिन ढाई वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकार केवल संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकी है और कुछ नहीं।

टेकचन्द समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ ३० पर लिखा गया है कि भारत में एकस्व कानून को इस तरह से लागू किया गया है कि विदेशियों को फायदा पहुंचे तथा इस देश की जनता घाटे में रहे। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार इन दो वर्षों में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में लगभग १०,००० विदेशियों को एकस्व अधिकार प्राप्त हैं, तथा इसके मुक़ाबिले में केवल ७६३ भारतीयों को यह अधिकार प्राप्त हैं। इस थोड़ी सी संख्या में से भी न मालूम पाकिस्तान में कितने होंगे। इस रिपोर्ट के पढ़ने से पता चलेगा कि सरकार लोक-हित के लिए विधान बनाने के बारे म कितनी उदासीन है।

इस सम्बन्ध में तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डा० एस० पी० मुखर्जी ने ८ अप्रैल १९५० को एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा था कि :—

> "हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि हमें एकस्व सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्राप्त होगी, परन्तु हम समझते हैं कि इस मामले की परमावश्यकता को दृष्टि में रखते हुए यह वांछनीय होगा कि हम उन परिवर्तनों के सम्बन्ध में कानून का संशोधन करें जिनकी कि एकस्व सलाहकार समिति ने सर्वसहमति से सिपारिश की है।"

उस समय किसी भी सदस्य को इस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं था क्योंकि उन्हें भरोसा था कि विशेषज्ञ समिति की रिपो प्राप्त होने के शीघ्र बाद ही सरकार आवश्यक विधान प्रस्तुत करेगी। परन्तु दो वर्ष बीत

[श्री वी० पी० नायर]

जाने के बाद भी जो कुछ प्रस्तुत किया गया है वह यह संशोधन विधेयक है। यही कारण है कि मैं क्यों प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक पर विचार न किया जाय।

मैं एकस्वों के बारे में भी कुछेक शब्द कहता हूं। पहिले दवाइयों को लीजिए। हमारे देश में इस समय दवाइयां व्यापार की वस्तु समझी जाती हैं। जनता को चिकित्सक सुविधायें उपलब्ध करना सरकार का काम नहीं समझा जाता है। दवाइयां इसलिए प्रयोग में लाई जाती हैं कि डाक्टरों को पैसा मिले तथा उन व्यक्तियों को पैसा मिले जिन्हें इनका एकस्व अधिकार प्राप्त हो। यहां दिल्ली में ही देखिए ज़रा सी तकलीफ़ के लिए आपको कितना धन खर्च करना पड़ता है। हर रोग के लिए डाक्टर आपको पेटेंट दवाई दे देगा। मैं अक्सर सोचता हूं कि हमारी गरीब जनता जोकि मलेरिया, यक्षमा तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित है, कहां से इन पेटेंट दवाइयों के लिए पैसा लायगी तथा अपना इलाज करायगी। इस दुर्दशा का एक कारण सरकार की एकस्व सम्बन्धी नीति है। वर्तमान एकस्व कानून ने भारतीय प्रतिभा को फलने फूलने नहीं दिया है। इस में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, किन्तु सरकार ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया है।

फ़िर आप देखेंगें कि यहां, इसी दिल्ली के नगर में 'कटीक्युरा पाऊडर' के खाली डिब्बे के लिए आपको चार आने दिये जायेंगे तथा "सनलाइट" साबुन के ऊपर के कागज़ के लिए आपको एक आना मिलेगा। इसका कारण यह है कि आपने इस देश में पेटेंट वस्तुओं के लिए एक अजीब भावना पैदा की है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि कोई भारतीय कारखानेदार बढ़िया से बढ़िया साबुन अथवा पाउडर भी तैयार करेगा, फ़िर भी उसके लिए यह बेचना असम्भव होगा, तो इस तरह से भारतीय कारोबार बिल्कुल नष्टभ्रष्ट हुआ है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि सदन को प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार नहीं करना चाहिए। सदन को चाहिए कि वह इसे रद्द करे तथा माननीय मंत्री को बता दे कि वह भविष्य में ऐसा विधान प्रस्तुत न करें। माननीय मंत्री को चाहिए कि वह विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करें तथा उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित करके जनता की मांगों को पूरा करें।

श्री करमरकर : श्रीमान्, मुझे उत्तर में कुछ अधिक कहना नहीं। प्रतिपक्ष में बैठे मेरे माननीय मित्र जिस समय बोल रहे थे तो मुझे कुछ सम्भ्रान्ति हुई। पहिले मैं यह सोचने पर तत्पर हुआ कि उन्होंने रिपोर्ट तो अच्छी तरह पढ़ ली है परन्तु विचाराधीन विधेयक को पढ़ना भूल गए हैं। परन्तु बाद में मुझे महसूस हुआ कि पेटेंट दवाइयों के कारण उन्हें जो कष्ट उठाना पड़ा है वह उसका दोष हम पर उतारना चाहते थे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक प्रतिपक्ष में बैठे मेरे माननीय मित्र जैसे लोगों की सहायता के लिये ही प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान विधि के अनुसार यदि मान लीजिए किसी विदेशी फ़र्म को एकस्व दिया गया हो तो कोई भी व्यक्ति १६ वर्ष तक उस वस्तु को नहीं बना सकता है यद्यपि उसके बनाने की विधि भी मालूम हो। इसका परिणाम यह होता था कि आयात कम करके कीमतें ऊंची रखी जाती थीं तथा इस तरह से जनता को कष्ट उठाना पड़ता था। आज दो वर्ष पहले जो संशोधन किया गया था उसका आशय यह था कि पहले एकस्व के मुहरबन्द होने के समय से लेकर दो वर्ष

तक किसी भी अन्य प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं होगा । किन्तु हमने सोचा कि खाद्य, दवाइयां तथा शल्यक्रिया से सम्बन्धित अन्य आवश्यकताऐं हमारे देशवासियों के लिये अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिये हमन यह संशोधन प्रस्तुत किया ।

इस संशोधन का परिणाम यह होगा कि यदि कोई विदेशी जिसे कि हमारे देश में एकस्व प्राप्त हो, अपने एक्स्व का दुरुपयोग करके यहां की जनता को कठिनाई में डालेगा तो किसी अन्य प्रार्थी को उसकी प्रार्थना पर तत्काल ही इस सम्बन्ध में एकस्व दे दिया जायगा । उदाहरण के रूप में यदि कटि-क्यूरा का एकस्व एक विदेशी को प्राप्त है तो इसके बनाने की विधि सबों के लिए खुली रखी जायगी जिससे कि हमारे देशवासी, इस तथ्य के बावजूद कि एकस्वाधिकार प्राप्त व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, इसे बना सकेंगे ।

हमने यह विधेयक खाद्य, दवाइयों शल्यक्रिया से सम्बन्धित यंत्रों तथा प्रतीकारात्मक उपायों को पूर्ववर्तिता देने के लिए प्रस्तुत किया है । मुझे मालूम नहीं होता कि मेरे माननीय मित्र इसका विरोध क्यों कर रहे हैं । यदि वह इसका विरोध करते हैं तो वह स्वयं घाटे में रहेंगे तथा जनता जिसे कि सस्ती दवाइयां चाहिये, घाटे में रहेगी ।

मैं इस पर और अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं, परन्तु मुझे आशा है कि जब तक हम एक व्यापक विधान प्रस्तुत करेंगे तब तक मेरे माननीय मित्र न न केवल इस रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा अपितु उस विधेयक को भी पढ़ा होगा जोकि हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं क्योंकि अन्ततोगत्वा किसी विधेयक विशेष के भलीभांति अध्ययन से ही इस सदन को तथा सरकार को सहायता मिलती है । हम ने सम्पूर्ण विधि के पुनर्विलोकन के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त की । एकस्व विधि १८३६ में पहिली बार बनाई गई थी ।उस समय से इसका कई बार संशोधन किया गया ताकि यह तत्कालीन सरकार की नीति के अनुकूल हो । हमने यह समिति इसलिए नियुक्त की कि यह क़ानून को परिस्थितियों के अनुसार बनाने के लिए अपनी सिपारिशें पेश करे । हम इस समिति के परिश्रम की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते हैं । इसकी रिपोर्ट एक बहुमूल्य रिपोर्ट है तथा मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि सरकार इस समिति की बहुत सी सिपारिशों से सहमत है । हमने समझा कि जहां तक खाद्य, दवाइयों तथा अन्य प्रतिकारात्मक उपायों तथा यन्त्रों का सम्बन्ध है, समय एक महत्वपूर्ण तत्व है तथा हम अधिक व्यापक विधान के प्रस्तुत किये जाने के समय तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे । यही कारण है कि हमने यह विधेयक क्यों प्रस्तुत किया, जैसे कि मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि हम इसी सत्र के दौरान में इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक पुरःस्थापित करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय एकस्व तथा रूपांकन अधिनियम १९११ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक को खंडशः लेते हैं । चूंकि कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए मैं सब खंडों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

"१ से लेकर ५ तक के सभी खंड विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से लेकर ५ तक के सभी खंड विधेयक में जोड़ दिये गए ।

[अध्यक्ष महोदय]

शीर्ष तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मैसूर उच्च न्यायालय (कुर्ग तक छेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"मैसूर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कुर्ग तक विस्तारित करने तथा इससे सम्बन्धित मामलों को उपबन्ध रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जैसे कि माननीय सदस्यों ने उद्देश्यों तथा कारणों के विवरणसे देख लिया होगा, यह एक अत्यन्त ही छोटा मामला है । पहले १९४८ तक कुर्ग के छोटे राज्य में एक जुडीशियल कमिश्नर रहा करता था जो उस राज्य का अन्तिम अपील न्यायालय था । १९४८ में यह बात देखी गई कि यह व्यवस्था कुछ असुविधाजनक थी तथा इस बात पर विचार किया गया कि दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों में अन्तिम अपीलों के निर्णयन के लिए कुछ अच्छा उपबन्ध हो सकता है; तथा इसलिए एक आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा अपीलें सुनने का क्षेत्राधिकार जुडीशियल कमिश्नर के स्थान पर मद्रास हाई कोर्ट को सौंपा गया । अब चार वर्ष से यह व्यवस्था चल रही है । यह प्रत्येक दृष्टि से सन्तोषजनक था । कठिनाई जो थी वह केवल दूरी की थी । माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि मद्रास जाने के लिये कुर्गवासियों को पहले मैसूर जाना पड़ता है, फिर मैसूर से बंगलौर और अन्त में बंगलौर से मद्रास जाना पड़ता है । इसमें वादी प्रतिवादी पक्ष को काफी खर्चा उठाना पड़ता है तथा असुविधा भी बहुत होती है । यह कहा गया कि यदि कुर्ग की अपीलें सुनने का अधिकार मद्रास हाई कोर्ट के स्थान पर मैसूर हाई कोर्ट को दिया जाये तो कुर्गवासियों की कठिनाई दूर हो सकती है । यह बात मान ली गई है तथा दोनों सरकारें इससे सहमत हैं । इस विधेयक का आशय उसी व्यवस्था को कार्यरूप देना है ।

इस विधेयक का सारांश वास्तव में यह है कि प्रत्येक अधिनियम में शब्द "मद्रास" के स्थान पर शब्द "मैसूर" पढ़ लिया जाये । एक सहायक उपबन्ध यह भी है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो आदेश तथा डिग्रियां जारी की हैं वह इस विधेयक के पास होने के बाद भी उसी तरह प्रवर्तनीय होंगी गोया वह मैसूर हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई हों । सदन सूची में देख पायेगा कि केन्द्रीय विधान-मंडल द्वारा कुछ अधिनियम पास किये गये हैं जिनमें भारत के प्रत्येक भाग के सम्बन्ध में उच्च-न्यायालयों को मौलिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है तथा कुर्ग के सम्बन्ध में यह मौलिक अधिकार मद्रास हाई कोर्ट को प्रदान किया गया है । यहां भी शब्द "मद्रास" के स्थान पर शब्द "मैसूर" रखे जाने का विचार है ।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । यह वास्तव में एक औपचारिक मामला है तथा इस पर कोई वाद प्रतिवाद नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"मैसूर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कुर्ग तक विस्तारित करने तथा इससे

सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री मादिया गौडा (बंगलौर-दक्षिण) : श्रीमान, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । हमें मालूम है कि कुर्ग तथा मैसूर की संस्कृति, रीति रिवाज तथा परम्पराएं एक ही हैं । दोनों राज्यों में कन्नड़ भाषा बोली जाती है । इसके अलावा कुर्ग मैसूर से केवल १५० मील दूर है जब कि मद्रास वहां से ४०० मील दूर है । मैसूर की प्रशासकीय, न्यायिक तथा सैनिक सेवाओं में काफी कुर्गवासी सेवायुक्त हैं । मैसूर उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति भी एक कुर्गवासी हैं जोकि अपनी प्रतिभा तथा योग्यता के लिए सुविख्यात है । इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए मैं गृह मंत्रालय के इस निश्चय का स्वागत करता हूं तथा कुर्गवासियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस व्यवस्था का अनुमोदन करके अपनी बुद्धिमता दिखाई है । इस कार्यवाही से कुर्ग मैसूर के और भी निकट आया है ।

यहां मैं सरकार को यह बताना उचित समझता हूं कि अन्य भाग ग राज्यों की न्यायिक व्यवस्था को भी एक न एक भाग क अथवा भाग ख राज्य के उच्च न्यायालयों के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए, तथा जुडीशियल कमिश्नरों की प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए ।

श्री एस० वी० रामास्वामी (सलेम) : श्रीमान, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु इसके साथ ही इसमें सुधार करने के उद्देश्य से कुछ संशोधन करने की भी प्रस्थापना करता हूं । खंड २ के भाग (ग) में शब्द proceeding ' ' कार्यवाही ' एकवचन में आया है जब कि रेखा २५ तथा २६ में यही शब्द बहुवचन में आया है । मैं प्रस्थापना करता हूं कि यह दोनों स्थानों पर बहुवचन में होना चाहिए । दूसरा संशोधन खंड ४ के सम्बन्ध में है जो कि कुछ महत्वपूर्ण है । न्यायालयों में कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके सम्बन्ध में फैसला लिखा गया हो किन्तु घोषित नहीं किया गया हो । यद्यपि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में ऐसे मामलों के सम्बन्ध में उपबन्ध रखा गया है, किन्तु दंड प्रक्रिया में ऐसे फैसलों को घोषित करने की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं चाहता हूं कि विधेयक में एक परन्तुक रखा जाये जिसके अन्तर्गत व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश २० नियम २ फौजदारी मामलों पर भी लागू हो सके ।

आगे, श्रीमान, मैं खंड ५ में शब्द "any" "कोई" के बाद शब्द "judgement" "निर्णय" निविष्ट करना चाहता हूं ।

पंक्ति ३२ में शब्द "an" "एक" के स्थान पर "a judgement. decree or" "एक निर्णय, डिग्री अथवा" रखे जायें ।

पंक्ति ३३ में भी शब्द "an" "एक" के स्थान पर "a judgement, decree or" "एक निर्णय, डिग्री अथवा" के शब्द रखे जायें ।

श्री रघुरामैय्या (तेनालि) : श्रीमान् मैं समझता हूं कि जहां तक मेरे माननीय मित्र के पहले संशोधन का सम्बन्ध है, यह अनावश्यक है । शब्द "proceeding" "कार्यवाही" को एक वचन अथवा बहुवचन में रखने से विषय वस्तु में कोई विशेष अन्तर नहीं आ जाता है ।

जहां तक उनकी दूसरी बात का सम्बन्ध है कि कुछ मामलों में निर्णय लिखा गया होता है किन्तु घोषित नहीं किया गया होता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का निर्णय तभी सर्वांगपूर्ण होता है जब कि उसे घोषित किया जाता है । इसलिए ऐसे किसी

[श्री रघुरामैय्या]

निर्णय का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है जो लिखा गया हो किन्तु घोषित न किया गया हो। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए उनका दूसरा संशोधन भी अनावश्यक ही प्रतीत होता है। जहां तक उनके शेष संशोधनों का सम्बन्ध है कि खंड ५ में शब्द "order" "आदेश" के अलावा शब्द "decree" "डिग्री" तथा "judgement" "निर्णय" रखे जायें, मैं उनका समर्थन करता हूं। जटिलताओं को दूर करने के लिए इन्हें स्वीकार करना उचित होगा।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : श्रीमान्, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं कुर्गवासियों की ओर से माननीय गृह कार्य मंत्री को धन्यवाद दूं कि उन्होंने यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। कुर्गवासियों की चिरकाल से यह आकांक्षा रही है कि मैसूर हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कुर्ग तक विस्तारित किया जाये तथा इस उद्देश्य के लिए लगभग १० वर्ष तक कुर्ग की विधान परिषद् में काफी चर्चा चली। लेकिन उस समय हमें बताया गया कि मैसूर एक देसी राज्य है इसलिए उसका क्षेत्राधिकार कुर्ग तक विस्तारित नहीं किया जा सकता। परन्तु सौभाग्यवश मैसूर हाई कोर्ट का दर्जा अब वही कुछ है जो मद्रास हाई कोर्ट का है तथा वहां वही क़ानून लागू हैं जो भारत के अन्य भागों में लागू हैं, इसलिए कुर्गवासियों की चिरकांक्षा पूरी की जा रही है। माननीय मंत्री ने बताया कि कुर्गवासियों की क्या कुछ कठिनाइयां थीं। मद्रास हाई कोर्ट में हमें हर एक दस्तावेज का अंग्रेजी में भाषानुवाद करना पड़ता था। उस पर काफी व्यय होता था तथा वह भाषानुवाद भी सही नहीं होता था। इसके अलावा मद्रास में मुकदमेबाज़ी का खर्चा बहुत ज्यादा था जो कि कुर्गवासियों के लिए असहनीय था, वह कुर्ग से मुकदमों की पैरवी के लिए वकीलों को नहीं ले सकते थे। किन्तु अब उन्हें इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कुर्ग विधान मंडल ने १९४८ में कुर्ग न्यायालय अधिनियम नाम का एक अधिनियम पास किया है। इसमें लिखा गया है कि जहां तक कुर्ग की अदालतों का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालय मद्रास होगा। इस अधिनियम में भी आवश्यक आनुषंगिक संशोधन करके शब्द 'मद्रास' के स्थान पर शब्द 'मैसूर' रखा जाए जिससे कि भविष्य में कठिनाई उत्पन्न न हो जाये।

जहां तक श्री रामास्वामी द्वारा सुझाये गये संशोधनों का सम्बन्ध है उनमें से अधिकांश अनावश्यक हैं। मैं केवल उन संशोधनों का समर्थन करता हूं जो उन्होंने खंड ५ के बारे में सुझाए हैं। इनका श्री रघुरामैय्या ने भी समर्थन किया है तथा मुझे आशा है कि माननीय मंत्री को भी इन्हें स्वीकार करने में कोई कठिनाई न होगी।

डा० काटजू : मुझे खुशी है कि सदन ने इस विधेयक का सामान्यतः समर्थन किया है: मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य केवल इस कठिनाई का निवारण करना है जो कुर्गवासियों को मद्रास जैसे दूर स्थान पर जाने में होती थी। अब उन्हें घर के निकट ही न्याय प्राप्त हो सकेगा।

मेरे माननीय मित्र ने एक अत्यन्त ही दिलचस्प नुक़्ता उठाया जब कि उन्होंने कहा कि इस विधेयक के सिद्धान्त को अन्य भाग ग राज्यों पर भी लागू किया जाये। मुझे इस सुझाव के लिए काफी सहानुभति है। मुझे प्रसन्नता है कि इसने जनता के ध्यान को पहले ही आकर्षित किया है तथा उन राज्यों के मुख्य मंत्री तथा वहां की जनता इस पर ध्यान दे रही है। मुझे आशा है कि हम इस कार्य

में आगे बढ़ सकेंगे । मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि प्रत्येक राज्य में अन्तिम अपील न्यायालय एक "डिवीजन बैंच" होना चाहिए जिसमें कम से कम दो जज होने चाहियें तथा वह यथा सम्भव उच्च प्रतिष्ठा के होने चाहियें ।

मैं अपने माननीय मित्र का आभारी हूं कि उन्होंने अत्यन्त ही सावधानी से विधेयक की शब्द रचना का अध्ययन किया है । मैं आपको आश्वासन दूंगा कि हम कृतज्ञता की भावना से प्रेरित हैं क्योंकि विधेयक की भाषा के ध्यानपूर्वक अध्ययन से ही हम इसमें गलतियां करने से बच सकते हैं । इन में से कुछ संशोधन मौखिक हैं जिन्हें प्रस्तुत नहीं किया जायेगा । जहां तक दूसरे संशोधनों का सम्बन्ध है मेरी राय में किसी भी अवस्था पर कोई कठिनाई उत्पन्न होने की आशंका निराधार है । भाषा बिल्कुल स्पष्ट है । फिर भी दोनों ओर से अपने माननीय मित्रों को प्रसन्न करने के लिए मुझे खंड ५ में शब्द " judgement " " निर्णय " तथा " decree " "डिग्री" रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी । जहां तक कि इस आशंका का सम्बन्ध है कि निर्णय लिखे गये हों परन्तु उन पर हस्ताक्षर नहीं हुए हों, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह एक काल्पनिक बात है । और भी, हम यह विधेयक इस अपरान्ह को पास कर रहे हैं । यह अब दूसरे सदन में जायगा जहां इसके पास होने में लगभग एक पखवाड़ा लगेगा । मुझे आशा है कि मद्रास हाईकोर्ट के अधिकारी इस बात की ओर विशेष ध्यान देंगे कि अनिर्णीत मामले शीघ्र निपटाये जायें जिससे कि बाद में कोई कठिनाई अथवा असुविधा उत्पन्न न हो जाये । मेरे विचार में संसद् द्वारा पास किये गये इस विधेयक को ऐसी मामूली मामूली बातों से भारी भरकम बनाना उचित नहीं होगा । अघोषित निर्णय जैसी कोई चीज़ ही नहीं है । ज्योंही फैसला सुना दिया जाता है , त्योंही उस पर हस्ताक्षर होते हैं तथा मुहर लगती है । फैसले को अन्तिम रूप देने में चौबीस घंटे से अधिक समय नहीं लगता है ।

श्रीमान, मुझे और अधिक कुछ कहना नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के मतदान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा । प्रश्न यह है कि :

"मैसूर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कुर्ग तक विस्तारित करने तथा इस से सम्बन्धित अन्य मामलों का उपबन्ध रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ तथा ३

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खंड २ तथा ३ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ तथा ३ विधेयक में जोड़ दिये गए ।

खंड ४—(अनिर्णीत मामलों का मैसूर उच्च-न्यायालय को हस्तांतरण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "खंड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४—विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५—(मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों का प्रभाव)

[श्री एस० वी० रामास्वामी के निम्नलिखित संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा सदन द्वारा स्वीकृत किए गए ।]

(१) पृष्ठ १ की पंक्ति ३० में शब्द "Any" "कोई" के पश्चात् शब्द "Judgement" "निर्णय" निविष्ट किया जाये ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

(२) पृष्ठ १ की पंक्ति ३२ में शब्द "an" "एक" के स्थान पर शब्द "a judgement, decree or" "एक निर्णय, डिग्री अथवा" रखे जायें ।

(३) पृष्ठ १ की पंक्ति ३३ में शब्द "an" "एक" के स्थान पर शब्द "a judgement, decree or" "एक निर्णय डिग्री अथवा" रखे जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६, ७ तथा अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह विधेयक , संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "यह विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पारे पर निर्यात शुल्क लगाने के सम्बन्ध में विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमारकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय तटकर अधिनियम १९३४ (१९३४ का ३२ वां) की धारा ४ क की उपधारा (२) के अन्तर्गत लोक-सभा भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की उस अधिसूचना संख्या ३५-टी (१) ५२ दिनांक ८ अक्तूबर १९५२ का अनुमोदन करती है जिसके अन्तर्गत की उक्त अधिसूचना के दिनांक से पारे के प्रति ७५ पौंड वाले फ्लास्क पर ३०० रुपये का निर्यात शुल्क लगाया गया ।"

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इस संकल्प के सम्बन्ध में एक खरीता माननीय सदस्यों में पहिले ही परिचलित किया गया है ।

स्थिति संक्षेप में यह है कि नवम्बर १९५० में पारे का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) में रखा गया था, तथा इसका तत्कालिक परिणाम यह हुआ कि पारा बहुत भारी मात्रा में आयात किया गया । १९४९-५० में पारे की १७९३ फ्लास्कें आयात की गईं । १९५०-५१ में इसमें सहसा भारी वृद्धि हुई तथा ३७६६० फ्लास्कें आयात की गईं । १९५१-५२ में आयात की मात्रा फिर कम हो गई तथा केवल ५९ फ्लास्कें आयात की गई । हमारे वार्षिक उपभोग का अनुमान ४००० से लेकर ५००० फ्लास्क तक है । अर्थात् देश में इस समय भी पारे की काफी मात्रा मौजूद है जिसके लिए कि इस समय यहां कोई मांग नहीं । बार बार अभ्यावेदन प्राप्त किये गये हैं कि किसी उचित सीमा तक आयात किये गये पारे के निर्यात की अनुमति दी जाये जिस से कि कुछ दुर्लभ विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके । अब एक स्थूल संगणना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि हम इस समय असानी से पारे की १०,००० फ्लास्कें निर्यात कर सकते हैं । इसलिए निर्यात के लिए १०,००० फ्लास्कों का कोटा घोषित किया गया है । ५००० फ्लास्कों के निर्यात के लिए प्रार्थना पत्र पहले ही प्राप्त किये जा चुके हैं तथा उनकी ध्यानपूर्वक जांच हो रही है । अन्तर्काल में आयात किए गए पारे का

औसत तटागत मूल्य ३९१ रुपए से लेकर २६८ रुपये तक प्रति फ्लास्क था। जबकि देश की विभिन्न मंडियों में अंतिम मूल्यांकन ३९७ रुपये प्रति फ्लास्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वायदे के सौदे के लिए मूल्यांकन १८७ डालर अथवा ८५० रुपये प्रति फ्लास्क है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने यह उचित समझा कि प्रति फ्लास्क पर ३०० रुपये का निर्यात शुल्क लगाया जाये तथा यह ऊपर उल्लिखित अधिसूचना द्वारा किया गया है, ताकि बाहरी तथा भीतरी मूल्यों में जो भारी अन्तर था वह मिट जाये। अब भारतीय तटकर अधिनियम १९३४ की धारा ४ क की उपधारा (२) के अनुसार हमने उक्त अधिसूचना के अनुमोदन के लिए सदन के सामने प्रस्ताव रखा है। श्रीमान्, मुझे इस से अधिक और कुछ कहना नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि : —

"भारतीय तटकर अधिनियम १९३४ (१९३४ का ३२ वां) की धारा ४ क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत लोक-सभा भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की उस अधिसूचना संख्या ३५-(टी) (१) ५२. दिनांक ८ अक्तूबर १९५२ का अनुमोदन करती है जिसके अन्तर्गत कि उक्त अधिसूचना के दिनांक से पारे के प्रति ७५ पौंड वाले फ्लास्क पर ३०० रुपये का निर्यात शुल्क लगाया गया।"

श्री ए० सी० गुहा : (शान्तिपुर) : माननीय मंत्री ने बताया कि हमारे पास पारे के लगभग ३७,००० फ्लास्क मौंजूद हैं और हमारी वार्षिक आवश्यकतायें चार पांच— हज़ार फ्लास्कों से अधिक नहीं। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान स्टाक आठ वर्ष के लिए काफी होगा। माननीय मंत्री ने बताया कि केवल १०,००० फ्लास्क निर्यात किये जायेंगे, ऐसा क्यों ?

श्री करमरकर : यदि अधिक निर्यात करना सम्भव होगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे।

श्री वी० बी० गांधी : (बम्बई नगर-उत्तर) : श्रीमान, वर्तमान दृष्टान्त हमारी आयात नीति तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर काफी प्रकाश डालता है। एक ही वर्ष में पारे के ३७,००० फ्लास्क आयात किये ग जबकि इससे पहिले के वर्ष में अर्थात् १९४९-५० में केवल १७९३ फ्लास्क आयात किये गए थे। माननीय मंत्री ने बताया कि हमारी वार्षिक अपेक्षायें चार हज़ार तथा पांच हज़ार फ्लास्कों के दरम्यान में है। तो पूछा जा सकता है कि १९४९-५० में क्यों केवल १७९३ फ्लास्क आयात किए गए थे जबकि मांग बहुत ज्यादा थी। इससे स्पष्टत: देश में इस वस्तु का अभाव रहा और जब अगले वर्ष इसे खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) पर रखा गया तो व्यापारियों ने पुरानी स्थिति से भयभीत होकर इस अवसर का अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहा और भारी मात्रा में पारा आयात किया। परिणाम यह हुआ कि आज हमारे पास लगभग २८,००० फ्लास्क पारा फालतू पड़ा है। १९५१-५२ में केवल ५९ फ्लास्क आयात किए गए। तो मेरे कहने का आशय यह है कि आयात में इतने भारी उतार चढ़ाव की ज़िम्मेदारी बड़ी हद तक सरकार तथा उसकी आयात नीति पर है। मुझे याद है कि आज दो वर्ष पहिले पेनिसिलिन के बारे में क्या हुआ तथा बम्बई सरकार की नीति ने मामले को कैसे उलझाया था।

श्रीमान, जहां तक हमारी निर्यात नीति का सम्बन्ध है, यह किसी दीर्घकालीन विचार विमर्श पर आधारित न हो के केवल इशारों पर चलाई जाती है। इन उतार चढ़ावों के निवारण के लिए निश्चित प्रयत्न किया जाना चाहिए। श्रीमान, मुझे सन्देह है कि

[श्री वी० बी० गांधी]

सरकार पारे पर जो निर्यात शुल्क लगा रही है वह न्यायसंगत भी है अथवा नहीं। मुझे सन्देह है कि भारतीय तटकर अधिनियम कि धारा ४ क का जो हम यहां प्रयोग कर रहे हैं क्या वह उचित भी है अथवा नहीं। यदि हम इस अधिनियम से सम्बद्ध अनुसूची २ को देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि वहां पटसन, पटसन से बनी वस्तुएं, कपास, चाय, कपड़ा आदि आदि वस्तुएं जोकि भारत में तैयार अथवा पैदा की जाती हैं दी गई हैं। जहां तक पारे का सम्बन्ध है, भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है और न यह हमारे निर्यात की एक नियमित वस्तु है। ऐसी दशा में इस पर निर्यात शुल्क लगाने के औचित्य में सन्देह है। दूसरी बात यह है कि पारे के सम्बन्ध में वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जैसी कि पटसन अथवा मूंगफली के सम्बन्ध में कुछ समय पहिले उत्पन्न हुई थी। उस समय अवमूल्यन के कारण तथा कोरिया युद्ध के कारण पटसन तथा मूंगफली के व्यापारी इस तरह लाभ कमा रहे थे गोया आंधी के आम लूट रहे थे। गरीब उत्पादकों को सापेक्षतः बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था। इसलिए सरकार ने उस समय जो कार्यवाही की थी वह बिल्कुल ठीक थी और यदि वह कार्यवाही न करती तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती। किन्तु जहां तक पारे का सम्बन्ध है, हमें मालूम है कि भारतीय उपभोक्ताओं को यह बिल्कुल उचित दामों पर मिल रहा है। उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। तटागत मूल्य ३९१ रुपये से लेकर २५८ रुपये तक है जबकि उपभोक्ता को यह केवल ३९७ रुपए पर उपलब्ध किया जाता है। साफ ज़ाहिर है कि व्यापारी अधिक लाभ नहीं कमा रहा है। आज विदेशों में पारे की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। यही एक चीज़ है जिस ने हमारे व्यापार जगत को अपप्रत्याशित रूप से उस दुर्दशा से बचाया है जोकि सरकार की आयात नीति के कारण उस पर आ पड़ी थी।

इन बातों को दृष्टि में रखते हुए, श्रीमान्, मेरा अपना विचार है कि यह शुल्क लगाने के उद्देश्य से भारतीय तटकर अधिनियम की धारा ४ क के प्रयोग में लाना उचित नहीं है।

श्री बसल : श्रीमान, सरकार की आयात नीति के सम्बन्ध में मुझे भी वही शिकायत है जोकि श्री गांधी को है, परन्तु इसके साथ ही मैं महसूस करता हूं कि सरकार ने इस मामले के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की है वह बिल्कुल सही है। यदि वह इस वस्तु को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल) से हटाती तो इस से केवल सट्टेबाज़ी को प्रोत्साहन मिलता और कीमतें बढ़ जातीं।

देश में आवश्यकता से बहुत ज्यादा पारा आयात किया गया है। यदि उसे निर्यात न करने दिया जाता तो इसका परिणाम यह होता कि इस व्यापार में लगा धन बेकार बन्द रहता। इस सम्बन्ध में हमें यह बात भी याद रखनी होगी कि यह पारा सुलभ मुद्रा क्षेत्र से आयात किया गया है तथा आज हम इस दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र को जिन में अमेरिका भी शामिल है निर्यात करेंगे। इसमें जो फायदा होगा वह अवश्य ही सरकार को प्राप्त होना चाहिए। सरकार ने एक गलती ज़रूर की है कि निर्यात की घोषणा करते समय उसने यह भी कहा है कि १०,००० फ्लास्कें निर्यात की जायेंगी। कोई भी बुद्धिमान विक्रेता यह नहीं कहता है कि उसके पास कुल कितना स्टाक है। इस घोषणा का यह परिणाम हुआ है कि अमेरिका में पारे की कीमतों में १०० रुपये प्रति फ्लास्क कमी हुई है। इस के साथ ही देश में भी कीमतें बढ़ने लगी हैं। मुझे आशा है कि सरकार सारी स्थिति पर उस समय पुनर्विचार करेगी जबकि उसे मालूम होगा कि भारतीय व्यापा-

रियों को विदेशी मंडियों में पारे के लिए उतनी कीमत नहीं मिल रही है जितनी कि उन्हें इस समय मिलती होगी। उस समय उन्हें निर्यात शुल्क कम करना पड़ेगा।

इस सिलसिले में मैं सूचना विभाग के बारे में भी कुछेक शब्द कहना चाहता हूं। निस्सन्देह यह विभाग हमें सूचना देता रहता है किन्तु ठीक समय पर नहीं दे देता है। इसका परिणाम यह होता है कि सरकार उचित समय पर उचित कार्यवाही नहीं कर सकती है। हमें मालूम है कि पटसन के बारे में क्या हुआ। सरकार ने उचित समय पर इस पर निर्यात शुल्क न लगाकर करोड़ों रुपए गंवाए यद्यपि कई प्रतिभाशाली व्यापारी तथा व्यक्ति उन्हें इस सम्बन्ध में समय समय पर सूचना देते रहे। यही हाल रेशमी कपड़े का हुआ था। देश की मंडियां इस माल से इतनी भर गई थीं कि व्यापारी चिल्लाने लगे थे। तब जाकर सरकार ने इसके आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। मुझे आशा है कि सरकार अब यह महसूस करने लगी होगी कि उनकी आयात नीति अधिक स्थिर होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि जब किसी वस्तु को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) पर रखा जाये तो फिर इसे वहां से नहीं हटाया जाना चाहिए। इस तरह से मांग तथा सम्भणर का नियम स्थिति के स्वयं ही स्थिर कर देगा तथा सट्टेबाज़ी समाप्त होगी। दुर्भाग्यवश सरकार ने हाल ही में कुछेक वस्तुओं के सम्बन्ध में जो निर्णय किये हैं उनसे इस नीति को अपनाने में सहायता नहीं मिलेगी। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि भविष्य में हमारी आयात नीति अधिक स्थिर होनी चाहिए तथा उतनी अस्थिर नहीं होनी चाहिए जितनी कि यह भूतकाल में रही है।

अन्त में, श्रीमान, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे सूचना दी गई है कि सरकार ने निर्यात लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में जो नीति बरत रखी है वह कुछ दोषपूर्ण है। मुझे भरोसा है कि माननीय मंत्री इस मामले पर भी ध्यान देंगे।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार १३ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।